रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED NO. D-222

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 11, 1967 (कार्तिक 20, 1889)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 11, 1967 (KARTIKA 20, 1889)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## नोटिस
## NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 21 व 25 अक्तूबर 1967 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 21st and 25th October 1967 :—

| अंक Issue No. | संख्या और तारीख No. and Date | द्वारा जारी किया गया Issued by | विषय Subjects |
|---|---|---|---|
| 161 | No. 146-ITC (PN)/67, dated 13th October 1967. | Min. of Commerce | Import policy for Registered Exporters for the year April, 1967—March, 1968—Grant of import licences in favour of merchant-exporters. |
| | No. 147-ITC(PN)/67, dated 13th Oct. 1967. | Do. | Imports from U.S.A. under U.S. AID Commodity Programme Assistance 1966 (AID Loan No. 386-H-160)—Diversion of Licences to AID Loan No 386-H-168. |
| | No. 148-ITC(PN)/67, dated 13th Oct. 1967. | Do. | Import policy for coal-tar dyes and Dyes intermediates falling under Sl. No. 1-B/III for the period April, 1967—March, 1968. |
| 162 | No. 149-ITC(PN)/67, dated 13th Oct. 1967. | Do. | Imports from U.S.A. under the US AID Commodity Programme Assistance 1966 (AID Loan No. 386-H-160). |
| 163 | No. 150-ITC(PN)/67, dated 19th Oct. 1967. | Do. | Import policy for Registered Exporters for the year April 1967—March, 1968—Paper and Paper Industry including Books, Journals, periodicals. |
| 164 | No. 151-ITC(PN)/67, dated 21st Oct. 1967. | Do. | Import policy for Registered Exporters for the year April 1967—March 1968. |
| 165 | No. 152-ITC(PN)/67, dated 25th Oct. 1967. | Do. | Import of permissible items of instruments, equipment and accessories by technical consultancy firms engaged in Overseas operations. |

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

## विषय सूची (CONTENTS)


| | पृष्ठ (Pages) |
|---|---|
| भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 827 |
| भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 1119 |

भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 53

भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 849

भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . —

भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . . —

भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . . 1797

भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . . 4135

भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . 247

भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ-लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 843

भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें . 481

भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं . 173

भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . 723

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . 181

पूरक सं० 45—

4 नवम्बर 1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट . 1871

14 अक्तूबर 1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े . 1883

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. .. 827

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. .. 1119

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. .. .. .. 53

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence 849

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. —

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 1797

PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 4135

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence 247

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. .. .. .. .. 843

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta .. 481

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. .. .. .. 173

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. .. .. .. .. 723

PART IV —Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. .. 181

SUPPLEMENT No. 45—

Weekly Epidemiological Reports for week-ending 4th November 1967 .. .. .. 1871

Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 14th October 1967 .. .. .. .. 1883

# भाग I—खण्ड 1

# PART I—SECTION 1

## (रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

## Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

### राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर 1967

सं० 92-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अन्य अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री धन्ना राम,
सहायक उप-निरीक्षक संख्या 209 (स्थानापन्न),
29वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
फ़िरोज़पुर।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया**

श्री धन्ना राम को फिरोजपुर-कसूर सड़क पर हुसैनीवाला पुल के निकट पंजाब सशस्त्र पुलिस की सीमा चौकी पर तैनात दस्ते में नियुक्त किया गया था। यह चौकी युद्धोपयोगी दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण थी और 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण के समय शत्रु के भयंकर आक्रमण का निशाना थी। श्री धन्ना राम दस्ते के कार्यभारी अधिकारी थे। 7-9-1965 को श्री धन्ना राम ने कुल्जिआंवली और जे० सी० पी० की पाकिस्तानी चौकियो पर सफल पंजाब सशस्त्र पुलिस के जवाबी आक्रमण का नेतृत्व किया।

19 और 20 सितम्बर, 1965 की रात में टैंकों और तोपखाने की सहायता से शत्रु की एक बटालियन ने हुसैनीवाला पुल पर आक्रमण कर दिया। श्री धन्ना राम उस समय कुल्जिआंवली चौकी के बायें पार्श्व पर था। मुजाहिदों की बहुत बड़ी संख्या की सहायता से पाकिस्तानी सेना द्वारा चौकी पर की गई बहुत भारी गोलीबारी तथा बार बार किये गये आक्रमणों के बाजजूद श्री धन्ना राम चौकी पर डटा रहा। हालांकि चौकी की इमारत बिलकुल नष्ट हो गई फिर भी उसने बहुत बड़े आक्रमण को पिछाड़ दिया।

इन दो घटनाओं से श्री धन्ना राम ने विशिष्ट वीरता और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 7 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 93-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री सुरजीत सिंह,
हैड कांस्टेबल सं० 6675 (स्थानापन्न),
29वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
फ़िरोज़पुर।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया**

6 सितम्बर, 1965 से श्री सुरजीत सिंह को एक कांस्टेबल के साथ हुसैनीवाला क्षेत्र के सैनिक ठिकानो से काफ़ी आगे एक निरीक्षण चौकी पर तैनात किया गया। शत्रु की बहुत भारी गोलाबारी और आक्रमणों में भी श्री सुरजीत सिंह अपनी चौकी पर डटा रहा और शत्रु की तोपों की स्थिति के बारे में अत्यन्त उपयोगी सूचना भेजने मे सफल रहा। दो मौकों पर उसने ऐसे ठिकानों पर शत्रु की तोपों का पता दिया जहां उनके होने का सन्देह भी नही किया जा सकता था, और इस प्रकार सेना को बहुमूल्य सहायता दी।

हैड कांस्टेबल सुरजीत सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न कर वीरता और उच्चतम स्तर की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 94-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री ज्ञानी राम,
कांस्टेबल संख्या 37/200,
37वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
खेमकरन। **(स्वर्गीय)**

**सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया**

6 सितम्बर, 1965 को खेमकरण में स्थित पंजाब सशस्त्र पुलिस की नूरवाला चौकी पर, जिस पर कांस्टेबल ज्ञानी राम तैनात

था, शत्रु का भारी दबाव पड़ा। चौकी पर तैनात पंजाब सशस्त्र पुलिस के दस्ते ने पाकिस्तान के बख्तरबन्द डिवीज़न की जोरदार गोलाबारी की भयंकरता का सामना किया और गोलाबारी का जवाब दिया बाद में दस्ते को एक सुरक्षित ठिकाने पर हटा लिया गया।

9 सितम्बर, 1965 को श्री ज्ञानी राम को शत्रु के ठिकानों और मोर्चों आदि का पता लगाने के लिये उस क्षेत्र में जाने के लिये नियुक्त किया गया जो शत्रु के कब्जे में थे। शत्रु द्वारा भारी गोलाबारी के होते हुए कांस्टेबल ज्ञानी राम ने अपने जिम्मे सौंप गये संकटमय कार्य को निभाया। शत्रु ठिकानों की ओर जाते हुए एक फेरे में उन्हें देख लिया गया और उन्हें जान से मार दिया।

कांस्टेबल ज्ञानी राम ने कर्तव्य का पालन करते हुये अपने जीवन का बलिदान दे दिया और इस प्रकार कर्त्तव्य परायणता का एक शानदार उदाहरण स्थापित किया।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 95-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारियों के नाम तथा पद**

श्री आत्मा सिंह,
कांस्टेबल संख्या 45/243,
45वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
जम्मू। **(स्वर्गीय)**

श्री सुख राम,
कांस्टेबल संख्या 45/242,
45वी बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस
जम्मू। **(स्वर्गीय)**

श्री जवन्द सिंह,
कांस्टेबल संख्या 27/259,
45वी बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
जम्मू। **(स्वर्गीय)**

श्री महिन्दर सिंह,
कांस्टेबल संख्या 45/259,
45वी बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
जम्मू। **(स्वर्गीय)**

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

15 सितम्बर, 1965 को जम्मू काश्मीर में पालम पर तैनात पंजाब सशस्त्र पुलिस की एक कम्पनी की तीन यूनिटों पर लगभग 500 पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जो मशीनगनों, राकेट लांचरों तथा मार्टरों जैसे आधुनिकतम शस्त्रों से पूरी तरह लैस थे, जबरदस्त आक्रमण कर दिया। घुसपैठियों का भयंकर वेग विशेषकर एक प्लाटून के विरुद्ध था। प्लाटून के जवान भी साहस से लड़े किन्तु जब गोलाबारूद की कमी पड़ने लगी तो यह निश्चय किया गया कि प्लाटून को कम्पनी मुख्यालय के निकट दूसरे ठिकाने पर ले जाया जाय। कांस्टेबल आत्मा सिंह, सुख राम, जवन्द सिंह और महिन्दर सिंह ने स्वेच्छा से शत्रु को तबतक उलझाये रखने के लिये प्रस्तुत किया जबतक कि उनके साथी दूसरे मोर्चे पर डट नहीं जाते। ये अधिकारी बहादुरी से लड़े और शत्रु को भारी क्षति पहुंचाने के पश्चात्, अपने प्राणो का बलिदान दे दिया। ये अधिकारी घुसपैठियों के आगे बढ़ने को रोकने में सफल हो गये। यदि वे ऐसा न कर पाते तो सारी प्लाटून का सफाया हो जाता।

इन अधिकारियों की वीरतापूर्ण कार्यवाही, साहस, आत्मत्याग एवं कर्त्तव्य-परायणता का एक शानदार उदाहरण रहेगी।

2. ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 96-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :

**अधिकारियों के नाम और पद**

श्री मिश्री लाल,
कास्टबल संख्या 36/1608,
45वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
जम्मू। **(स्वर्गीय)**

श्री रतन सिंह,
कांस्टेबल संख्या 36/1964,
45वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
जम्मू। **(स्वर्गीय)**

**सेवाओं का विवरण जिनकेलिये पदक प्रदान किया गया**

ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि राजौरी जिले में थाना-मंडी सड़क पर बंगनौर और रुड़की पुलों के ईर्द गिर्द पाकिस्तानी घुसपैठियों के अनेक गिरोह घूम रहे थे।

31 अगस्त, 1965 को पंजाब सशस्त्र पुलिस की एक प्लाटून उस क्षेत्र की ओर गई। जब वे राजौरी से लगभग 7 मील दूर एक मोड़ पार कर रहे थे तब अचानक उनका सामना घुसपैठियों की एक बहुत बड़ी संख्या से हो गया जिन्होंने सड़क की एक तरफ चढ़ाई पर अपनी मशीनगनें लगाई हुई थी। कांस्टेबल मिश्री लाल एवं कांस्टेबल रतन सिंह ने राइफल की गोलीबारी द्वारा शत्रु को उलझाये रखने का काम अपने ऊपर ले लिया जब कि प्लाटून के शेष जवान गाड़ी से बाहर आने शुरु हो गये और उपयुक्त स्थानों पर अपनी स्थितियां संभालने लगे। उन्होंने एक घंटे से अधिक घुसपैठियों को उलझाये रखा और इस बीच उन्होंने शत्रु को भारी क्षति पहुंचाते हुये अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और इस प्रकार असाधारण साहस एवं कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 अगस्त, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 97-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते है :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री प्रीतम सिंह,
पुलिस उपाधीक्षक संख्या पी/68 (स्थानापन्न),
29वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
फिरोजपुर।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

जब पाकिस्तान से संघर्ष आरम्भ हुआ तो श्री प्रीतम सिंह पुलिस उपाधीक्षक, को हुसैनीवाला हैडवर्क्स पर सहायक कमांडेंट के पद पर तैनात किया गया। जब भारतीय सेनाएं आगे बढ़ी तब श्री प्रीतम सिंह व्यक्तिगत रूप से उनके खोजी दस्तों के साथ शामिल हो गए और उन्हें उस आसपास के क्षेत्र की पूरी तरह जानकारी करा दी। श्री प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पंजाब शसस्त्र पुलिस शत्रुओं को किक्कर तोवार, कुझिक्षआंवाली और जे० सी० पी० की चौकियों से हटाने में सफल रही और चार पाकिस्तानी रेंजरों को उनके हथियारों और गोलाबारूद सहित गिरफ्तार कर लिया।

19/20 सितम्बर, 1965 की रात को शत्रु ने एक पूरी बटालियन की शक्ति से भयंकर आक्रमण कर दिया। उस समय श्री प्रीतम सिंह अपने जवानों के लिये प्रेरणा के साधन बन गए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की ओर जरा भी ध्यान न देते हुए अपने कर्त्तव्य का निरंतर पालन करते रहे।

श्री प्रीतम सिंह ने स्वेच्छा से सबसे कठिन कार्यों को अपने ऊपर लेकर महान साहस एवं कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है।

सं० 98-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते है :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री गुरबचन सिह,
उप-निरीक्षक संख्या 28/पी० ए० पी० (स्थानापन्न),
33वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
वागा।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान पुलिस उप-निरीक्षक गुरबचन सिह ने सेना को अग्रिम क्षेत्रों की खोज करने और उन्हे उनके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिये पथ प्रदर्शन करके अत्यन्त उपयोगी सहायता पहुंचाई।

7 सितम्बर, 1965 को श्री गुरबचन सिह सेना के खोजी दस्ते को इछोगिल नहर के निकट के एक गांव में ले गया जिस पर शत्रु की सेना ने मजबूती से कब्जा जमा रखा था। वह यह देखने के लिये अकेले नहर पर गया कि हमारी सेनाओ ने उसे पार कर लिया है या नहीं। ऐसा करते समय शत्रु की नजर उस पर पड़ गई और शत्रु ने उस पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। बड़े ही साहस और प्रत्युत्पन्न मति के साथ वह नहर की सिंचाई नाली के साथ-साथ रेंगते हुए उस स्थान पर लौटने में समर्थ हो गया जहां सैनिक अधिकारी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गोलाबारी इतनी जोर से हो रही थी कि दल को अपनी गाड़ियां छोड़ कर पीछे हटना पड़ा। बाद मे श्री गुरबचन सिंह सेना को पुनः नहर की ओर ले गया।

श्री गुरबचन सिंह ने महान साहस एवं उच्चस्तर की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 99-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री आत्मा सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक संख्या 5355 (स्थानापन्न),
37वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान, श्री आत्मा सिह, पुलिस उप-निरीक्षक को कसूर क्षेत्र में रजोक चौकी पर चौकी कमांडर नियुक्त किया गया।

6 सितम्बर, 1965 को श्री आत्मा सिंह ने पाकिस्तानी फौज का मुकाबिला करने के लिये उनके क्षेत्र में बहुत आगे तक घुसने मे महान साहस तथा पहलशक्ति का परिचय दिया। यह आक्रमण विफल हो गया किन्तु श्री आत्मा सिंह ने शत्रु को तीन दिन तक उलझाये रखा। आखिरकार, शत्रु ने तीन ओर से बड़ा भारी जवाबी आक्रमण कर दिया और पंजाब सशस्त्र पुलिस की उस चौकी को नष्ट कर दिया। संख्या में अधिक शत्रु की परवाह न कर श्री आत्मा सिंह और उसके जवानों ने खाइयों में मोर्चे सम्भाल लिये और शूरवीरता से तबतक लड़ते रहे जबतक उन्होंने शत्रु को पीछे हटने पर मजबूर न कर दिया। इसके फलस्वरूप पंजाब सशस्त्र पुलिस की उस चौकी पर 13 सितम्बर, 1965 को पुनः कब्जा हो गया।

श्री आत्मा सिंह ने विशिष्ट वीरता, पहलशक्ति और उच्चस्तर की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 100-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री प्रकाश सिंह,
हैड कांस्टेबल संख्या 20/14,
20वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
फ़ाजिल्का।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

फाज़िल्का शहर पर कब्जा करने की कोशिश में पाकिस्तानी सेना ने 6 सितम्बर, 1965 को फाजिल्का के चारों ओर की विभिन्न पुलिस चौकियो पर अचानक आक्रमण कर दिया। हैड कांस्टेबल प्रकाश सिंह पंजाब सशस्त्र पुलिस की सदीकि चौकी पर सैक्शन कमांडर के रूप में तैनात था। चौकी पर जबर्दस्त गोलाबारी हुई। श्री प्रकाश सिंह ने अपनी टुकड़ी के साथ निडरता पूर्वक जवाबी गोलाबारी की और शत्रु को आधे घन्टे तक उलझाये रखा। इस दौरान वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जा कर अपने जवानों को आदेश देता रहा और इसके लिये उसे अक्सर शत्रु की गोलीबारी के सामने भी आना पड़ा। हालांकि वह बुरी तरह घायल हो गया था फिर भी चौकी पर कब्जा जमाये रखा। अन्ततः शत्रु ने चौकी पर काबू पा लिया। किन्तु श्री प्रकाश सिंह के शूरवीरतापूर्ण मुकाबिले से हमारी सेना को आगे बढ़कर शत्रु को भारतीय क्षेत्र में अन्दर तक घुसने से रोकने का मौका मिल गया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 101-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री बन्ता सिंह,
हैड कांस्टेबल संख्या 66,
29वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
फ़िरोज़पुर।

**सेवाओं का विवरण जिन के लिये पदक प्रदान किया गया**

7 सितम्बर, 1965 को हैड कांस्टेबल बन्ता सिंह ने कुल्लिआंवाली और जे०सी० पी० की पाकिस्तानी चौकियों पर हुये सफल आक्रमण में भाग लिया जिसमें उसने साहस और पहलशक्ति का परिचय दिया। चार रेंजरों को उनके शस्त्रों सहित पकड़ लिया गया और चौकियों पर भी हमारा कब्जा हो गया।

19/20 सितम्बर, 1965 की रात को टैंकों और तोपखाने की सहायता से जब शत्रु ने जिसकी संख्या एक बटालियन के बराबर थी, हुसैनीवाल पुल पर आक्रमण कर दिया तो श्री बन्ता सिंह और उसके जवान शत्रु द्वारा की जा रही भारी गोलाबारी तथा उसके द्वारा पुल पर काबू पाने की बार-बार की जा रही चेष्टाओं के बावजूद डटे रहे। वह और उसके जवान बहादुरी से लड़े और हांलाकि चौकी की इमारत ध्वस्त हो गई फिर भी वे शत्रु के भारी आक्रमण को विफल करने में सफल हो गए।

भारी रुकावटों के बावजूद श्री बन्ता सिंह ने अपने जवानों के समक्ष साहस एवं कर्तव्यपरायणता का सुन्दर उदाहरण रखा।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 102-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते है :—

**अधिकारियों के नाम तथा पद**

श्री निर्मल सिंह,
हैड कांस्टेबल संख्या 20/345 (स्थानापन्न),
20वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
फ़ाजिल्का। (स्वर्गीय)

श्री सूरज मल,
कांस्टेबल संख्या 20/529,
20वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
फ़ाजिल्का। (स्वर्गीय)

श्री शाम सिंह,
कांस्टेबल संख्या 20/583,
20वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
फ़ाजिल्का। (स्वर्गीय)

श्री संता सिंह,
कांस्टेबल संख्या 20/320,
20वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
फ़ाजिल्का।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

6 सितम्बर, 1965 को पाकिस्तानी सेना तथा उसके साथ अनियमित सैनिकों ने जो आधुनिकतम स्वचालित हथियारों से लैस थे, फ़ाजिल्का क्षेत्र की सीमा पर पूरी शक्ति से आक्रमण कर दिया। शत्रु का मुख्य उग्र आवेश सांगर की सामरिक महत्व की चौकी पर था। छोटी पुलिस टुकड़ी ने चुनौती का मुकाबिला किया। घोर युद्ध के दौरान हैड कांस्टेबल निर्मल सिंह ने अपने जवानों का नेतृत्व दिलेरी से किया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न कर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे। श्री निर्मल सिंह तथा कांस्टेबल सूरज मल, शाम सिंह और संता सिंह ने शत्रु को भारी क्षति पहुंचायी। यह टुकड़ी आधे घण्टे से अधिक समय तक लड़ाई में व्यवस्था रही जबकि उनकी संख्या शत्रु की तुलना में नगण्य थी। श्री निर्मल सिंह, श्री सूरज मल और शाम सिंह ने संख्या में अधिक शत्रु से लड़ते हुये अपने कर्त्तव्य का पालन किया और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। श्री संता सिंह भी निडरतापूर्वक लड़ा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जा कर उसने शत्रु को तबतक उलझाये रखा जबतक शत्रु की गोलियों से बेकार न हो गया। हांलाकि चौकी शत्रु द्वारा नष्ट कर दी गई थी फिर भी इन बहादुरजवानों ने जिस शूरवीरता से मुकाबिला कर शत्रु के बढ़ाव को रोका उस से हमारी सेना को आगे जाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। यदि इन जवानों ने शत्रु का साहस से मुकाबिला न किया होता तो शत्रु हमारी सीमा के बहुत अन्दर तक बढ़ आता।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 6 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 103-प्रेज/67—राष्ट्रपति, पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री जरनैल सिंह,
कांस्टेबल संख्या 196/आर०,
29वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
फिरोजपुर।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।**

सितम्बर, 1965 में पाकिस्तान से संघर्ष के दौरान कांस्टेबल जरनैल सिंह को फ़िरोजपुर-कसूर सड़क पर हुसैनीवाला पुल के निकट पंजाब सशस्त्र पुलिस की चौकी के क्षेत्र की परिधि पर लाइन्समैन तैनात किया गया। यह क्षेत्र युद्ध की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था और सारे संघर्ष के दौरान शत्रु के भयंकर आक्रमण का निशाना बना रहा। पंजाब सशस्त्र पुलिस के अधिकारी और जवान अपने सैनिक साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़े और अग्रिम क्षेत्रों में खोज-कार्य के रूप में अत्यंत सहायक कार्य किया। यह परिधि चौकी सारी कार्यवाही के दौरान शत्रु की भारी गोलाबारी का निशाना बनी रही और इस पर बार-बार आक्रमण किया गया। भारी गोलाबारी के फलस्वरूप टैलीफोन की लाइनों को अक्सर क्षति पहुंची जिससे स्थानीय कमाण्डर का पुल के दोनों ओर के दस्तों के साथ एकमात्र सम्पर्क-साधन छिन्न हो गया। शत्रु की भयंकर गोलाबारी में भी कांस्टेबल जरनैल सिंह ने रात और दिन हर समय सेना के सम्पर्क की लाइन की मरम्मत के लिये अपने आप को प्रस्तुत किया। उसने इस काम को महान साहस और तकनीकी कुशलता के साथ किया और ऐसा करते समय अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की भी बिलकुल चिंता नहीं की।

कांस्टेबल जरनैल सिंह ने महान साहस, पहलशक्ति और कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 104-प्रेज/67—राष्ट्रपति, पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री शिवनारायण,
कास्टेबल संख्या 29/448,
29वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
फ़िरोजपुर।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।**

1965 में पाकिस्तान से संघर्ष के दौरान कांस्टेबल शिव नारायण को मुख्य सैनिक मोर्चे के दायें पार्श्व पर स्थित पंजाब सशस्त्र पुलिस की शामेके चौकी पर तैनात किया गया। 19 सितम्बर, 1965 को हुसैनीवाला पर भारी हमले के दौरान शामेके की चौकी शत्रु की भारी गोलाबारी में आ गई। इस चौकी पर तैनात प्लाटून को नदी के किनारे के एक स्थान पर हटा कर ले जाना पड़ा। एक पुलिस गश्ती दल जिसमें कांस्टेबल शिव नारायण भी शामिल थे, को इलाके में पर्यवेक्षण करने के लिये भेजा गया। यह दल एक खुली जगह पर शत्रु की निगाह में पड़ गया और उनकी तोपखाने की भारी गोलाबारी के बीच आ गया। गोलाबारी में कांस्टेबल शिव नारायण की दाईं टांग में गहरी चोटें लगीं। जब गश्ती दल की स्थिति असह्य रूप से चिन्तनीय हो गई तब गम्भीर रूप से ज़ख्मी होते हुए भी कांस्टेबल शिव नारायण ने अपने साथियों से पीछे हटने को कहा और स्वयं आवरक गोलाबारी जारी रखी। इस बहादुर कांस्टेबल ने अकेले ही शत्रु को उलझाये रखा और अपने साथियों की एक सुरक्षित स्थान पर लौटने में सहायता की। कांस्टेबल शिव नारायण तब तक अपनी राइफल से लगातार गोली चलाता रहा जब तक कि राइफल क्षतिग्रस्त न हो गई और फिर वह रेंग कर एक सुरक्षित स्थान पर लौटने में सफल हो गया।

कांस्टेबल शिव नारायण ने घायल होते हुए भी शत्रु के आक्रमण के सामने विशिष्ट कर्त्तव्य-परायणता और साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 105-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री बलबीर सिंह,
कांस्टेबल संख्या 29/630,
29वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
फ़िरोजपुर। **(स्वर्गीय)**

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।**

सितम्बर, 1965 में पाकिस्तान से संघर्ष के समय कांस्टेबल बलबीर सिंह को हुसैनीवाला पुल के निकट पंजाब सशस्त्र पुलिस की परिधि चौकी पर तैनात किया गया। इस क्षेत्र का युद्धोपयोगी दृष्टि से अत्यन्त महत्व था और शत्रु के भयंकर आक्रमण का निशाना था।

19/20 सितम्बर, 1965 की रात को पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उस क्षेत्र की हमारी चौकियों पर शत्रु ने भारी गोलाबारी की और शत्रु के टैंक और पैदल सेना पंजाब सशस्त्र पुलिस की चौकी से 100 गज की नज़दीकी तक आ गये। भारी रुकावटों की चिंता न करते हुए पंजाब सशस्त्र पुलिस के जवानों ने महानतम कर्त्तव्य-परायणता तथा साहस का परिचय दिया और शत्रुओं को भारी संख्या में हताहत करते हुए अपनी चौकियों पर डटे रहे। उन्होंने शत्रु को लगभग 4 घन्टे तक उलझाये रखा। इस कार्यवाही के दौरान, कांस्टेबल बलबीर सिंह ने असाधारण साहस तथा कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा भी चिंता न कर उसने इस दस्ते के लिये गोलाबारूद लाने के लिए अनेक फेरे लगाये। इन्हीं फेरों में से एक के दौरान उसको शत्रु का गोला लगा और उसकी मृत्यु हो गयी।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5

अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 106-प्रेज/67—राष्ट्रपति, पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री हरनेक सिंह,
कांस्टेबल संख्या 33/407,
33वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

6 सितम्बर, 1965 को हमारी सेनाएं खालड़ा-बर्की मार्ग पर सीधे शत्रु के क्षेत्र के अन्दर बढ़ी। उस समय पंजाब सशस्त्र पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने अग्रिम क्षेत्रों में खोज-कार्य तथा सैनिक दस्तों का उनके लक्ष्यों तक मार्ग-प्रदर्शन करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की। उन्होंने सेना के लिये मार्ग-दर्शकों और गुप्तचरों का कार्य किया तथा सेना के साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़े।

कांस्टेबल हरनेक सिंह ने स्वेच्छा से सेना का थान कुल्लाह क्षेत्र में मार्ग-प्रदर्शन की जिम्मेवारी सम्हाली। उसने रख हरदित सिंह स्थित शत्रु की रेंजर चौकी पर आक्रमण के दौरान असाधारण साहस तथा कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया। एक रेंजर ने इस चौकी की छत पर हल्की मशीनगन लेकर मोर्चा जमा लिया। शत्रु रेंजर की हल्की मशीनगन की गोलियों के बावजूद कांस्टेबल हरनेक सिंह दूसरी ओर से चौकी की छत पर चढ़ गया और अपनी जान परभारी खतरा उठा कर रेंजर को दबोच लिया। उसकी इस वीरता से शत्रु की इस चौकी को जीतना सहज हो गया।

कांस्टेबल हरनेक सिंह ने शत्रु की गोलाबारी के बीच अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की ज़रा भी परवाह न करते हुए सर्वोच्च कोटि के साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 सितम्बर 1965 से दिया जायेगा।

सं० 107-प्रेज/67—राष्ट्रपति, पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री हरबंस सिंह
कांस्टेबल संख्या 33/677,
33वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
वागा।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

6 सितम्बर 1965, को हमारी सेना द्वारा वागा क्षेत्र में पाकिस्तानी सीमा में घुसने के समय, पंजाब सशस्त्र पुलिस के अधिकारियों तथा जवानों ने जो इस क्षेत्र की सीमा पर तैनात थे, सैनिक दस्तों को अग्रिम क्षेत्रों का पर्यवेक्षण करने तथा सैनिक टुकड़ियों को उनके लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करने में अत्यन्त उपयोगी सहायता प्रदान की। कांस्टेबल हरबंस सिंह पंजाब सशस्त्र पुलिस की वागा स्थित चौकी पर ड्राइवर नियुक्त था। वह हमारी सशस्त्र टुकड़ियों का पाकिस्तानी क्षेत्र में मार्ग-दर्शन करने के लिये स्वेच्छा से तैयार हो गया। वह भारतीय बख्तरबंद दस्ते के सबसे आगे वाले टैंक पर बैठा और जो कार्य उसे सौंपा गया, उसे उसने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की ओर बिलकुल भी ध्यान दिये बिना पूरा किया। इस प्रकार उसने हमारे बख्तरबंद दस्ते को अत्यंत उपयोगी मार्ग-दर्शन प्रदान किया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 108-प्रेज/67—राष्ट्रपति, पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री करतार सिंह,
कांस्टेबल संख्या 2/114,
2री बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

1965 में पाकिस्तान से संघर्ष के दौरान श्रीनगर जिले में चौकी बल पुल की निगरानी पर तैनात, कांस्टेबल करतार सिंह, पंजाब सशस्त्र पुलिस की उस टुकड़ी का एक सदस्य था जिसमें एक हैड कान्स्टेबल और 6 कांस्टेबल थे। 8 अगस्त, 1965 की रात को जब करतार सिंह पुल पर संतरी ड्यूटी पर था तो लगभग 25 पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के एक गिरोह ने जो राकेट लांचरों, मशीनी मशीन गनों और स्वचालित राइफलों से लैस था, अचानक धावा बोल दिया और साथ ही साथ संतरी और गारद रूम पर भी गोलाबारी शुरू कर दी जिसके कारण गारद के लिये उसकी सहायता के लिये आ सकना संभव न था। कांस्टेबल करतार सिंह ने अकेले ही जवाबी-गोलाबारी से आक्रमणकारियों को उलझा कर दूर ही रखा। आधे घंटे से अधिक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही और श्री करतार सिंह द्वारा डटकर सामना किये जाने के फलस्वरूप आक्रमणकारियों को, पुल उड़ाने की उस विध्वंसक सामग्री को, जो वे अपने साथ लाये थे, वहीं छोड़ कर, पीछे हटना पड़ा।

कांस्टेबल करतार सिंह ने विशिष्ट वीरता तथा उच्चस्तर की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया और शत्रु घुसपैठियों द्वारा एक महत्वपूर्ण पुल को नष्ट होने से बचा लिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 अगस्त, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 109-प्रेज/67—राष्ट्रपति, पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री अमरीक सिंह,
कांस्टेबल संख्या 2/337,
2री बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

कांस्टेबल अमरीक सिंह जम्मू एवं काश्मीर में द्रास कारगिल सड़क पर शम्सा पुल की निगरानी पर तैनात पंजाब सशस्त्र पुलिस की गार्द में से एक था जिसमें एक सहायक उपनिरीक्षक और 6 कांस्टेबल थे। 9 सितम्बर 1965 की रात को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने राकेट लांचरों, हल्की मशीनगनों और स्वचालित राइफलों से पुल पर आक्रमण कर दिया। इसके फलस्वरूप सहायक उप-निरीक्षक और एक कांस्टेबल को घातक चोटें लगी, और दूसरे कांस्टेबल की हल्की मशीनगन क्षति पहुंचने के कारण बेकार हो गई। बंकर के तीन कांस्टेबलों ने जिनमें श्री अमरीक सिंह भी शामिल था, जवाबी गोलाबारी की। शत्रु की गोलीबारी की तीव्रता इतनी अधिक थी कि बंकर की एक दीवार में सुराख हो गया और श्री अमरीक सिंह उड़ते हुये मलवे से घायल हो गये। फिर भी उसने अपनी हल्की मशीनगन से आक्रमणकारियों पर गोलीबारी जारी रखी। यह गोलाबारी दोनों ओर से एक घंटे से अधिक समय तक चलती रही जिससे उसे दोबारा चोट लगी। सख्त विरोध का सामना करते हुए आक्रमणकारी अंधकार में पीछे हट गए और पुल नष्ट होने से बचा ली गई।

कांस्टेबल अमरीक सिंह ने महान दृढ़-निश्चय, साहस और उच्चतम स्तर की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 सितम्बर 1967 से दिया जायेगा।

सं० 110-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री बलकार सिंह,
कांस्टेबल संख्या 2/470,
2री बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

1965 में पाकिस्तान से संघर्ष के दौरान पंजाब सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी जिसमें श्री बलकार सिंह तथा अन्य लोग शामिल थे, कारगिल-लेह सड़क पर पुश्कयाम पुल की रक्षा के लिये तैनात की गई। 9 अक्तूबर 1965 की रात को जब कांस्टेबल बलकार सिंह पुल की एक ओर संतरी ड्यूटी पर तैनात था, तो लगभग 40 पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने राकेट लांचरों, मशीनगनों तथा स्वचालित हथियारों से पुल पर अचानक आक्रमण कर दिया। कांस्टेबल बलकार सिंह को बाईं बाहु में गंभीर चोट लगी। आक्रमणकारी उसे मृत समझ कर पुल की ओर आगे बढ़े। किन्तु श्री बलकार सिंह पुल की दूसरी ओर रेंग कर गये और वहां से आक्रमणकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। साथ ही साथ गार्द के दूसरे सदस्यों ने भी अपने मोर्चे संभाल लिये और आक्रमणकारियों को उलझाये रखा। यह गोलीबारी दोनों ओर आध घंटे तक होती रही। अन्त में आक्रमणकारियों को वहां से हटने पर बाध्य होना पड़ा और उनकी पुल को उड़ाने की चेष्टायें नाकाम हो गईं।

इस मुठभेड़ में कांस्टेबल बलकार सिंह ने साहस और अत्युच्च कोटि के दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 अक्तूबर 1965 से दिया जायेगा।

सं० 111-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री तोता राम,
कांस्टेबल संख्या 27/477,
45वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
जम्मू।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

पंजाब सशस्त्र पुलिस की एक कम्पनी जिसमें कांस्टेबल तोता राम शामिल था, जम्मू एवं काश्मीर में पालम पर नागरिकों की रक्षा के लिये तैनात थी। 15 सितम्बर 1965 को दिन निकलने के समय मशीनगनों, राकेट लाचरों तथा दूसरे हथियारों से लैस लगभग 500 पाकिस्तानी घुसपैठियों ने इस कम्पनी पर भारी आक्रमण कर दिया। घुसपैठियों की प्रचण्डता एक प्लाटून के विरुद्ध विशेष थी। इस प्लाटून के जवान जवाब में साहस से लड़े किन्तु जब उनका गोलाबारूद कम पड़ने लगा तब कम्पनी हैडक्वाटर के निकट के एक अन्य स्थान पर पीछे हटने का निश्चय किया गया। कांस्टेबल तोता राम और दूसरों ने अपने आप को नये स्थान पर पुर्नव्यवस्थित कर लिया। घायल होने के बावजूद उसने अपनी हल्की मशीनगन से गोलीबारी जारी रखी और शत्रु को भारी क्षति पहुंचायी। शत्रु पर यह प्रभाव डालने के लिये कि वहां कई हल्की मशीनगनें हैं वह अलग-अलग स्थितियों से अपनी हल्की मशीनगन से गोलीबारी करता रहा हालांकि ऐसा करते समय उसे शत्रु की गोलीबारी के सामने भी आना पड़ा। इससे आक्रमणकारी भयभीत हो गये और अपने मृतकों को भी छोड़कर भाग खड़े हुये।

कांस्टेबल तोता राम ने महान साहस एवं अडिगता का परिचय दिया और प्लाटून को नष्ट होने से बचा लिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 सितम्बर 1965 से दिया जायेगा।

सं० 112-प्रेज/67—राष्ट्रपति पंजाब सशस्त्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री सुखदेव सिंह
कान्स्टेबल सं० 45/405,
45वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस।

**सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया**

पंजाब सशस्त्र पुलिस की एक कम्पनी जिसमें कान्स्टेबल सुखदेव सिंह शामिल था, जम्मू एवं कश्मीर में पालम पर नागरिकों की रक्षा

के लिये तैनात थी। 15 सितम्बर 1965 को लगभग 500 घुसपैठियों ने जो मशीनगनों, राकेट लांचरों तथा अन्य शस्त्रों से लैस थे, दिन निकलने के समय इस कम्पनी पर धावा बोल दिया। घुसपैठियों का एक दल उस खाई की ओर बढ़ा जिसमें कान्स्टेबल सुखदेव सिंह तथा अन्य जवान थे। आक्रमणकारी, जो संख्या एवं शस्त्रों की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली थे, कान्स्टेबलों को आत्म-समर्पण के लिये कहा। कान्स्टेबल सुखदेव सिंह ने महान प्रत्युत्पन्न-मति तथा दिलेरी के साथ चार हथगोले एकत्रित किये, खाई से बाहर कूदा और एक-एक करके उन्हें पढ़ते हुए शत्रु पर फेंक कर उन्हें भारी संख्या में हताहत किया। इस साहसिक कार्रवाई से घुसपैठियों को जिनकी कि पहले ही काफी क्षति हो चुकी थी, हतोत्साहित कर दिया। वे घने जंगल में हट गये।

भारी रुकावटों के बावजूद कान्स्टेबल सुखदेव सिंह ने महान साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 सितम्बर 1963 से दिया जायेगा।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

---

## गृह-मंत्रालय

### नियम

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 1967

सं० 8/17/67—सी० एस०-II—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जून 1968 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्ति के लिये ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्व सामान्य की सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं :—

(i) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड II

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड II

(iii) भारतीय विदेश सेवा (ख) (आशुलिपिकों के सब कैडर का ग्रेड II), और

(iv) भारत सरकार के कुछ ऐसे विभागों और कार्यालयों के आशुलिपिकों के पद जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में शामिल नहीं है, तथा चुनाव आयोग के कार्यालय में ऐसे पद।

उम्मीदवार ऊपर उल्लिखित सेवाओं/पदों में से किसी भी एक या एक से अधिक सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता कर सकता है। यदि वह चाहे, तो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के लिये आरक्षित सूची में उसका नाम शामिल किए जाने के संबंध में भी विचार किया जा सकता है। वह जितनी भी सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता करना चाहे उन सब का अपने आवेदन पत्र में उल्लेख कर सकता है, तथा यह भी लिख सकता है कि आरक्षित सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहता है, या नहीं। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है किसी भी सेवा/पद में नियुक्ति के लिये या आरक्षित सूची में सम्मिलित होने के लिये उन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं करेंगे।

**विशेष टिप्पणी**— उम्मीदवारों को चाहिये कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता करना चाहते हैं उनका प्राथमिकता-क्रम स्पष्टतः लिख दें। उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भ में अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट सेवाओं/पदों के प्राथमिकता-क्रम में परिवर्तन करने की किसी भी ऐसी प्रार्थना पर, जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 31 अगस्त, 1968 को या उससे पहले न मिल जाए, विचार नहीं किया जाएगा।

2 **संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट I में निहित विधि से किया जाएगा।**

परीक्षा की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

3. (1) यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आ गया हो, या

(च) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान बर्मा, लंका, और केन्या, उगाण्डा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टागानीका और जंजीबार) इन पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजित हुआ हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता-प्रमाणपत्र होना चाहिए और यदि वह (च) श्रेणी से संबंधित हुआ तो उसे एक साल के लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र दिया जाएगा और उसके बाद उम्मीदवार की नौकरी तभी जारी रखी जाएगी जब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

परन्तु, निम्नलिखित में से किसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में पात्रता-प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

(i) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए और तब से आमतौर पर भारत में ही रह रहे हैं।

(ii) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए और संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन अपने आप को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करा चुके हैं।

(iii) ऊपर की (घ) श्रेणी के वे गैर-नागरिक, जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी 1960, से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार उस सेवा में काम कर रहे हैं। परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सेवा भंग करके 26 जनवरी, 1950 के बाद उस सेवा में फिर आया हो या फिर आए, औरों की तरह पात्रता-प्रमाणपत्र लेना आवश्यक होगा।

इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) श्रेणियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख)—(आशुलिपिकों के सब कैडर के ग्रेड II) नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

किसी उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता-प्रमाणपत्र आवश्यक है, यदि सरकार आवश्यक प्रमाणपत्र दे दे तो परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है और अनन्तिम रूप में उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है।

4. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो, या संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का या संघ राज्य क्षेत्र गोवा दमन और दियू का निवासी न हो, या केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टागानिका और जंजीबार) में प्रव्रजन करके न आया हो वह परीक्षा में दो बार से अधिक प्रतियोगिता नहीं कर सकेगा, किन्तु यह प्रतिबंध सन् 1962 में हुई परीक्षा में लागू होगा।

**टिप्पणी** 1.—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता करे तो, इस नियम के प्रयोजन के लिये, उस उम्मीदवार को परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं/पदों के लिए एक बार प्रतियोगिता-परीक्षा में बैठा माना जाएगा।

**टिप्पणी** 2:—किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हुआ तब माना जाएगा, जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षा में बैठा हो।

5. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह जरूरी है कि 1 जनवरी, 1968 को उम्मीदवार की आयु पूरे 18 साल की हो गई हो और पूरे 24 साल की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1944 से पहले और 1 जनवरी, 1950 के बाद न हुआ हो।

(ख) उक्त ऊपरी आयु-सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 25 वर्ष की आयु तक की छूट दे दी जाएगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में आशुलिपिकों (इसमें भाषा-आशुलिपिक भी शामिल हैं)/लिपिकों (आशु-टाइपकर्ताओं) के पदों पर नियुक्त हैं और 1 जनवरी, 1968 को जिन्होंने आशुलिपिक (भाषा-आशुलिपिक समेत)/लिपिक (आशु-टाइपकर्ता) के रूप में कम-से-कम तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है, तथा उक्त सरकार के अधीन जो या तो आशुलिपिक (भाषा-आशुलिपिक समेत) के रूप में या लिपिक (आशु-टाइपकर्ता) के रूप में नौकरी करते आ रहे हैं।

परन्तु उपर्युक्त आयु संबंधी छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले ली गई परीक्षाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किसी में आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किये जा चुके हैं।

(i) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, या

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, या

(iii) भारतीय विदेश सेवा, (ख), या

(iv) खुफिया ब्यूरो

**टिप्पणी** :—डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल-डाक छंटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 5(ख) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में की गई सेवा मानी जाएगी।

(ग) ऊपर के सभी मामलों में ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित रूप में अतिरिक्त छूट दी जाएगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो अधिक-से-अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक-से-अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक-से-अधिक 5 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिकतम तीन वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम आठ वर्ष तक;

(vii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दियु का निवासी हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टागानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 3 वर्ष;

(ix) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और, पहली

जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक,

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सबंधित हो बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिकतम आठ वर्ष तक;

(xi) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाइयां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा-सेवा-कार्मिकों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक,

(xii) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाइयां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा-सेवा-कार्मिकों के मामले में, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से सबंधित हों, अधिकतम 8 वर्ष तक,

**ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा ऊपर विहित आयु सीमाओं में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी ।**

**ध्यान दें** : (I)—यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 5(ख) में उल्लिखित आयु सम्बन्धी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि वह आवेदन पत्र देने के बाद परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, नौकरी से त्याग-पत्र दे दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। लेकिन यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छंटनी हो जाए तो वह पात्र बना रहेगा ।

(II) किसी आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत)/लिपिक को जो अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद (एक्स-कैडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्त हो, अन्य सब प्रकार से पात्र होने पर, परीक्षा में बैठने दिया जाएगा ।

6. जो उम्मीदवार खुफ़िया ब्यूरो में या उसके अधीन नियुक्त है, वे खुफ़िया ब्यूरो के रिक्त पदों के लिये ही प्रतियोगिता करने के पात्र होंगे । अन्य उम्मीदवार, चाहे वे सरकारी सेवा में हों या न हों, उन सभी सेवाओं/कार्यालयों के रिक्त पदों के लिए प्रतियोगिता करने के पात्र होंगे, जिनके लिए इस परीक्षा के परिणामों पर भरती की जाती है ।

7. यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों ने नीचे लिखी परीक्षाओं में से कोई एक पास की हो और उसके पास निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण पत्र हो :—

(i) भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अथवा ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा अपनी मैट्रिक परीक्षा के समकक्ष रूप में मान्यता दी गई कोई परीक्षा ।

(ii) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अंत में शालान्त (स्कूल लीविंग), माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाण पत्र के दिये जाने के लिये, जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिये मैट्रिक के प्रमाण-पत्र के समकक्ष मानती हो, ली गई परीक्षा,

(iii) कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (सीनियर कैम्ब्रिज),

(iv) राज्य सरकारों द्वारा ली गई यूरोपीय हाई स्कूल परीक्षा;

(v) दिल्ली पोलीटेकनीक के तकनीकी हायर सैकेंडरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र;

(vi) किसी मान्यता-प्राप्त हायर सैकेंडरी स्कूल या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने वाले किसी मान्यता-प्राप्त स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र;

(vii) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की जूनियर परीक्षा, केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिये;

(viii) बंगाल (माइंम) स्कूल सर्टिफिकेट;

(ix) नेशनल काउन्सिल ऑफ एजूकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्) जादवपुर, पश्चिम बंगाल की (शुरू से लेकर) फाइनल स्कूल स्टैंडर्ड परीक्षा;

(x) गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार का विद्याधिकारी डिप्लोमा ।

(xi) गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन का 'अधिकारी' डिप्लोमा ।

(xii) पांडिचेरी की नीचे लिखी फ्रेंच परीक्षाएं, (i) ब्रीवे एलिमेंतेयर (ii) ब्रीवे द 'एसीमा' प्रीमियेर द लाग इंदियेन (iii) ब्रीवे देएत्यूदद्यू प्रीमियेर सिकल (iv) ब्रीवे द एंसीमा प्रीमियेर सुपीरियेर दे लांग इंदियेन और (v) ब्रीवे दे लांग इंदियेन (वर्नाकूलर);

(xiii) इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन;

(xiv) भारतीय नौसेना का हायर एजुकेशनल टेस्ट;

(xv) एडवांस्ड क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा;

(xvi) सीलोन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा,

(xvii) ईस्ट बंगाल सैकेंडरी एजूकेशन बोर्ड, ढाका द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र;

(xviii) नेपाल सरकार की स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा;

(xix) एंग्लोवर्नाकूलर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (बर्मा);

(xx) बर्मा हाई स्कूल फ़ाइनल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट;

(xxi) शिक्षा विभाग बर्मा (युद्ध पूर्व) की एंग्लोवर्नाकूलर हाई स्कूल परीक्षा;

(xxii) बर्मा का पोस्ट-वार स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट,

(xxiii) गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की 'विनीत' परीक्षा,

(xxiv) गोआ, दमन और दियु की पुर्तगाली परीक्षा 'लाइसियूम' के पांचवें वर्ष में पास।

(xxv) 'सामान्य' स्तर पर लंका की **जनरल सर्टिफिकेट आफ़ एजुकेशन** नामक परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी तथा गणित और सिंहली, या तमिल सहित छः विषयों में पास की गई हो।

(xxvi) 'सामान्य' स्तर पर लंदन के एसोशियेटेड एग्जामिनेशन बोर्ड्स की **जनरल सर्टिफिकेट आफ़ एजूकेशन परीक्षा**, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हो।

(xxvii) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर/सेकेण्डरी तकनीकी स्कूल परीक्षा।

**टिप्पणी I**—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा, जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, दे चुका हो, लेकिन उसके परिणाम की सूचना उसे नहीं मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन पत्र भेज सकता है। जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालिफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहते हों, वे भी आवेदन पत्र दे सकते है बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले हो जाय। ऐसे उम्मीदवारों को यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हो, परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, किन्तु परीक्षा मे बैठने की अनुमति अनन्तिम होगी और यदि वे उक्त परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक-से-अधिक दो महीने के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकेगी।

**टिप्पणी II**—किन्हीं आपवादिक मामलों में, किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके पास पूर्वोक्त कोई उपाधि नहीं है संघ लोक सेवा आयोग अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है, बशर्ते कि उसने किन्हीं और संस्थाओं की ऐसी परीक्षाएं पास की हुई हों जिनका स्तर, आयोग की राय मे, परीक्षा में प्रवेश के लिये न्यायोचित है।

8. (क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या एक पत्नी के जीवित रहने पर भी किसी ऐसी स्थिति में विवाह करे कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने की अवधि मे किये जाने के कारण शून्य (वायड्) हो जाए तो उसे उन सेवाओं/पदों पर जिनके लिये इस प्रतियोगिता-परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती है, नियुक्ति का तब तक पात्र नही माना जाएगा जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और पुरुष उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

(ख) जिस महिला उम्मीदवार का विवाह इस कारण शून्य (वायड्) हो कि उक्त विवाह के समय उसके पति की एक जीवित पत्नी पहले से है या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी उक्त विवाह के समय एक जीवित पत्नी हो, वह उन सेवाओं/पदों में से किसी पर जिनके लिये इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, नियुक्ति की तब तक पात्र नही मानी जाएगी जब तक कि भारत सरकार सन्तुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, और उस महिला उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

(ग) कोई भी व्यक्ति जिसने किसी विदेशी राष्ट्रिक से विवाह किया हो भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

9. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत में पहले से ही सरकारी सेवा कर रहा हो, उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले अपने विभाग-अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए।

10. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसी शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो सम्बन्धित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नही कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किए जाने की संभावना हो।

**टिप्पणी**—अशक्त भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों के सम्बन्ध में रक्षा -सेवा के डीमोबीलाइजेशन मैडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के लिये पर्याप्त समझा जाएगा।

11. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नही बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

13. उम्मीदवारों को आयोग की विज्ञप्ति के अनुबन्ध-I में विहित फीस देनी होगी।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो वह परीक्षा में बैठने के लिये अनर्ह घोषित किया जा सकेगा।

15. यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा इस बात के लिये दोषी घोषित किया जाए या कर दिया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण पत्र आदि पेश किए हैं या ऐसे प्रमाणपत्र पेश किये हैं जिनमें कोई हेर-फेरी की गई है या गलत या झूठ

वक्तव्य दिए हैं या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिये किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई अनुचित आचरण किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही :—

(क) (i) आयोग उसे हमेशा के लिये या किसी विशेष अवधि के लिये उम्मीदवारों के चुनाव के लिये उसके द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से रोक सकता है; और

(ii) केन्द्रीय सरकार, अपने अधीन नियुक्त होने से रोक सकती है,

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में नियुक्त हो तो उसके खिलाफ़ उपयुक्त नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

16. भारत सरकार जैसा निश्चय करे, उस तरह से निर्धारित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये पद आरक्षित रखे जायेंगे ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति (संशोधन) अधिनियम, 1956, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 संविधान (अन्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह ) अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1959 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति 1964 के साथ पढ़े गए अनुसूचित जातियो/अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (संशोधन) आदेश 1956 में उल्लिखित कोई भी जाति या आदिम जाति ।

17. परीक्षा के पश्चात् आयोग, प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों से प्रकाशित गुणों के आधार पर उम्मीदवारों की क्रमबद्ध सूची बनायेगा, और परीक्षा परिणामों पर भरे जाने के लिए निश्चित अनारक्षित पदो पर भरती के लिए उसी क्रम से आयोग उन उम्मीदवारों की सिफ़ारिश करेगा जिनको कि वह उत्तीर्ण समझता है ।

परन्तु परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पूर्व सरकार जो भी संख्या निर्धारित करे उसके अनुसार आगामी आशुलिपिक परीक्षा का परिणाम निकलने से पूर्व केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II में नियुक्ति के लिये प्रयोगार्थ, गुणानुक्रम मे नामों की एक आरक्षित सूची भी तैयार की जा सकती है ।

साथ ही यह भी शर्त है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति का कोई उम्मीदवार, जो किसी सेवा/पद के लिये आयोग द्वारा निर्धारित मान के अनुसार योग्य सिद्ध न होने पर भी आयोग द्वारा उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित कर दिया जाए और इससे प्रशासनिक कुशलता में किसी प्रकार का व्याघात होने का भय न हो, तो वह उस सेवा/पद में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारो के लिये आरक्षित खाली पदों पर नियुक्ति का हकदार होगा ।

**ध्यान दें**—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की आरक्षित सूची, परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पूर्व यथा-अनुमानित भावी संभावित रिक्तियों के आधार पर तैयार की जाएगी । अगली परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने तक इस आरक्षित सूची में से यदि कोई उम्मीदवार अ-नियुक्त ही बना रहा तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का कोई दावा न कर सकेगा ।

18. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवार द्वारा बताई गई प्राथमिकताओं का (आयोग के नोटिस का अनुच्छेद 4 तथा आवेदन-पत्र के खाना 27 देखिए) समुचित ध्यान रखा जाएगा लेकिन किसी भी उम्मीदवार को ऐसी किसी भी सेवा/पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिसके लिये परीक्षा ली गई है ।

19. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

20. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता । इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये हर प्रकार से उपयुक्त है ।

21. उन सेवाओं/पदों के बारे मे, जिनके लिये इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही हैं, संक्षिप्त ब्योरा परिशिष्ट II में दिया गया है ।

मंगली प्रसाद, उप-सचिव

---

## परिशिष्ट I

1. परीक्षा के विषय, तथा प्रत्येक विषय के लिय दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग क—लिखित परीक्षा

| विषय | दिया गया समय | पूर्णांक |
|---|---|---|
| 1. अंग्रेजी . . | 3 घंटे | 100 |
| 2. सामान्य ज्ञान . . | 3 घंट | 100 |

**भाग—ख** (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालो के लिये) अंग्रेजी में आशुलिपिक परीक्षा । 300

**टिप्पणी** (i) उम्मीदवारों को परीक्षा के लिये अंग्रेजी के दो डिक्टेशन दिए जाएंगे पहला 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर जो सात मिनट का होगा; और दूसरा 100 शब्द प्रति मिनट

को गति पर, जो दस मिनट का होगा । उम्मीदवारों को क्रमश. 45 और 50 मिनट में इन्हे टाइप कर लेना होगा ।

**टिप्पणी** (ii) जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगे उन्हें 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारो से ऊपर रखा जाएगा । प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को, प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों मे यथा प्रकाशित गुणों के परस्पर अनुक्रम में रखा जाएगा ।

**टिप्पणी** (iii) उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक नोट टाइप करने होगे और इसके लिए उन्हें अपनी-अपनी टाइप-मशीन लानी होगी ।

2 परीक्षा का पाठ्य-विवरण साथ लगी अनुसूची में दिए अनुसार होगा ।

3. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखे जाने चाहिएं ।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ मे लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नही दी जाएगी।

5. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा।

6. केवल उन्ही उम्मीदवारों को आशुलिपि परीक्षा के लिये बुलाया जाएगा जो आयोग के द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों के अधिकतम अंकों में से, 5 प्रतिशत तक काट लिए जाएंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष लिहाज रखा जाएगा कि भाषाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम-से-कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

## अनुसूचि

### परीक्षा का स्तर और पाठ्य-विवरण

**टिप्पणी**—भाग 'क' के प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है।

**अंग्रेजी**—यह प्रश्न-पत्र इस रूप में तैयार किया जाएगा कि जिसमें उम्मीदवारों के अंग्रेजी-व्याकरण और निबन्ध-रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए। अंक देते समय वाक्य-विन्यास, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा-कौशल को ध्यान में रखा जाएगा । इस प्रश्न-पत्र में निबन्ध-लेखन, सार-लेखन, मसौदा-लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरों और पूर्वसर्ग (प्रीपोजीशन); कर्तृवाच्य और कर्म वाच्य आदि शामिल किए जा सकते है।

**सामान्य ज्ञान**—निम्नलिखित विषयों की थोड़ी-बहुत जानकारी:—भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, सामयिक घटनाएं, सामन्य विज्ञान तथा दिनप्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े-लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को बुद्धिमानी के साथ समझा है, उनके उत्तरों में किसी पाठ्य-पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती।

### परिशिष्ट II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है।

**(क) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) सेवा**

इस समय केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित दो ग्रेड हैं:—

ग्रेड I—350-25-650 (ग्रेड II मे पदोन्नत व्यक्तियों को इस वेतन क्रम में कम-से-कम 400 रु० वेतन दिया जाता है)।

ग्रेड II—210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 रु० ।

(2) सेवा के ग्रेड II में नियुक्त व्यक्ति 2 वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षिण प्राप्त करने पड़ सकते है और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं।

(3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति की उसके पद पर पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा तो, उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि और जितनी बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

(4) सेवा के ग्रेड II में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। किन्तु उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है।

(5) सेवा के ग्रेड II में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किये जाने के पात्र होंगे।

(6) जिन लोगों की नियुक्ति सेवा के ग्रेड II में उनकी अपनी इच्छा के अनुसार की जाएगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा न कर सकेंगे।

**(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा**

(क) जहां तक भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का संबंध है, रेलवे मंत्रालय मे सेवा के ग्रेड II में नियुक्त आशुलिपिको की सेवा की शर्तें रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना द्वारा विनियमित होती है जोकि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना के ही अनुरूप है।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना के निम्न दो ग्रेड हैं:—

(I) आशुलिपिक ग्रेड I—350-25-650 रु०।

(II) आशुलिपिक ग्रेड II—210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द०-रो०-20-530 रु०।

सीधी भर्ती केवल ग्रेड II में ही की जाती है। ग्रेड I के पद, ग्रेड II के आशुलिपिकों की पदोन्नति करके भरे जाते हैं। ग्रेड II के आशुशिपिकों को ग्रेड I मे पदोन्नत किये जाने पर कम-से-कम 400 रु० प्रति मास वेतन दिया जाता है।

ग्रेड I के आशुलिपिकों पर समय-समय पर लागू नियमो के अनुसार उनके लिये नियत कोटे में अनुभाग अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत करने के लिये भी विचार किया जाता है।

(ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेलवे मंत्रालय तक सीमित है और उनके कर्मचारियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की तरह अन्य मंत्रालयों में बदली नहीं हो सकती।

(घ) इन नियमों के अधीन रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भर्ती हुए अधिकारी:—

(i) पेंशन सम्बन्धी लाभों के पात्र होगे और

(ii) उनकी सेवा मे आने की तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले उस निधि के नियमों के अनुसार अनु-अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के अभिदाता होंगे।

(ङ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी अन्य रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य मानों के अनुसार ही पासो और सुविधा टिकट आदेशों के हकदार होते हैं।

(च) जहां तक छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा मे शामिल कर्मचारियों के साथ रेलवे के अन्य कर्मचारियों के समान ही व्यवहार किया जाता है किन्तु चिकित्सा-सुविधाओं के मामले में उन पर नई दिल्ली-स्थित मुख्यालय मे नियुक्त केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम ही लागू होंगे।

**(ग) भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिकों के उप-संवर्ग का ग्रेड II**

भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक उप-संवर्ग के ग्रेड II का वेतनक्रम 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 रु० है। भारतीय विदेश सेवा (ख) के उप संवर्ग-II में नियुक्त अधिकारियों पर, भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (आर० सी० एस० पी०) नियम, 1964 तथा भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम, 1961, जैसे कि वे भारतीय विदेश सेवा 'ख' पर लागू होते हैं, तथा अन्य ऐसे नियम तथा आदेश जो भारत सरकार द्वारा उन पर लागू किए जाएं, लागू होंगे।

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों तक ही सीमित है और इस सेवा में नियुक्त अधिकारियों की बदली आम तौर पर वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों में नहीं की जा सकती। वे भारत में या इस से बाहर कही भी सेवा पर नियुक्त किये जा सकते हैं।

विदेश मे सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियो को अपने मूल वेतन के अलावा सम्बन्धित देशों के निर्वाह खर्च को देखते हुए समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर विदेश भत्ता भी दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय विदेश सेवा (ख) (पी० एल० सी० ए०) नियम, 1961, जैसे कि वे भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर लागू होते हैं—के अनुसार उन्हें विदेश सेवा के दौरान निम्न-लिखित रियायते भी दी जाती हैं:—

(I) सरकार द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार निःशुल्क साज-सामान युक्त आवास।

(II) सहायित चिकित्सा योजना के अधीन चिकित्सा सुविधाएं।

(III) कुछ शर्तों के अधीन 8 से 18 वर्ष तक की आयु के भारत में शिक्षा पाने वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार लम्बी छुट्टियों के दौरान माता पिता से मिलने के लिये वापसी हवाई यात्रा का किराया।

(IV) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर 5 से 18 वर्ष तक की आयु के अधिक-से-अधिक दो बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता।

(V) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर और विहित नियमों के अनुसार विदेश सेवा के सम्बन्ध मे सज्जा भत्ता। जिन अधिकारियों की नियुक्ति ऐसे देशों मे की जाती है कि जहा असामान्य रूप के ठंड पड़ती है, उन्हे सामान्य सजा भत्ते के अलावा विशेष सज्जा भत्ता भी दिया जाता है।

(VI) विहित नियमों के अनुसार अधिकारियों तथा उनके परिवार के लिये छुट्टी मे घर जाने-आने का यात्रा व्यय।

सेवा के सदस्यों पर, कुछ आशोधनो के साथ, समय-समय पर यथापरिशोधित छुट्टी नियम लागू होंगे। कुछ पड़ौसी देशों को छोड़ कर अन्य देशों में नियुक्त अधिकारी विदेश सेवा के लिए, परिशोधित छुट्टी नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य छुट्टी के 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त छुट्टी-जमा के हकदार होगे।

भारत में रहते हुए अधिकारी अपने समान तथा उसी स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियो के लिए स्वीकार्य रियायतो के हकदार होगे।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)

नियम 1960 तथा उनके अधीन जारी किये गए आदेश लागू होते है।

इस सेवा में नियुक्त अधिकारियों पर समय-समय पर यथासंशोधित उदारीकृत पेन्शन नियम, 1950 के तथा उसके अधीन जारी किये गए आदेश लागू होते है।

**(घ) चुनाव आयोग, भारत**

चुनाव आयोग में आशुलिपकों के पदों का वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के समान ही 210-10-270-15-300 द० रो०-15-150 द० रो० 20-530 रु० होगा। किन्तु ये पद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में शामिल नही हैं और इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के काडर में सम्मिलित पदों पर नियुक्ति का कोई दावा न कर सकेंगे।

**(ङ) पर्यटन विभाग**

पर्यटन विभाग मे वरिष्ठ आशुलिपिको के पद 210-10-290-15-320 द० रो०-15-425 के परिशोधित वेतनमान मे स्वीकृत है और सामान्य केन्द्रीय सेवा (श्रेणी II) (अराजपत्रित)-लिपिक वर्गीय से संबंधित है। कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ आशुलिपिक 320-15-470-द० रो०-15-530 रु० के वेतनमान मे वैयक्तिक सहायकों के पद पर नियुक्ति के पात्र होते है। इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारो को आम तौर पर विभाग के मुख्यालय स्थापना में कार्य करना होगा किन्तु उन्हे भारत में कही भी काम करने के लिए कहा जा सकता है।

**(च) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिकों का काडर**

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक काडर मे आशुलिपिक ग्रेड II के पद अराजपत्रित (श्रेणी III) अस्थायी पद है। यह काडर सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्त: सेना संगठनों तक सीमित है। इस समय इस काडर में निम्नलिखित दो ग्रेड है :—

आशुलिपिक ग्रेड I—375-20-575-25-600 रु०।

आशुलिपिक ग्रेड II—210-10-270-15-300 द० रो०-15-450-द० रो०-20-530।

अस्थायी आशुलिपिक ग्रेड II के रूप में सीधे भर्ती होने वाले व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि में सेवा का रिकार्ड असन्तोषजनक होने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकाला जा सकता है।

3. सशस्त्र सेना मुख्यालय में भर्ती किए गए आशुलिपिक ग्रेड II आमतौर पर दिल्ली/नई दिल्ली स्थित तीनों सेवा मुख्यालयो, अन्त: सेवा संगठनों में किसी एक में नियुक्त किये जायेंगे। किन्तु उनकी बदली दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर ऐसे नगरों मे भी की जा सकेगी जहां सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंत: सेवा संगठनों के कार्यालय स्थित हो।

4 आशुलिपिक ग्रेड II समय-समय पर लागू नियमो के अनुसार आशुलिपिक ग्रेड I के पदो पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

5. छुट्टी, चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही है जो सशस्त्र सेना मुख्यालय में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती है।

**(छ) संसदीय मामलों का विभाग**

इस विभाग में आशुलिपिको के पदों का वेतनमान 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 रु० है।

प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये चुनाव द्वारा सेवा मे नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रखा जायगा।

---

## खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

### (कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्तूबर 1967

**संकल्प**

सं० 8-8/67-सी० सी० II—भारत सरकार के संकल्प सं० 6-8/65-रिआगें (सी० सी०), दिनांक 21 दिसम्बर 1965 के अनुसार भारतीय गन्ना विकास परिषद् को पुनर्गठित करने का निश्चय किया गया है। पुनर्गठित परिषद् में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

| | |
|---|---|
| (1) अध्यक्ष : | परिषद् में उत्पादकों के प्रतिनिधियों में से एक को भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाना। |
| (2) उपाध्यक्ष : | सचिव, कृषि विभाग, भारत सरकार। |
| (3) सदस्य : | (1) कृषि/गन्ना विकास के विभाग में प्रत्येक राज्य सरकार के |
| (क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि | एक प्रतिनिधि को निम्नलिखित सरकारों द्वारा नामजद किया जाना :— |
| | (1) उत्तर प्रदेश |
| | (2) महाराष्ट्र |
| | (3) पंजाब |
| | (4) हरियाना |
| | (5) आन्ध्र प्रदेश |
| | (6) मैसूर |
| | (7) मद्रास |
| | (8) बिहार |
| | (2) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि |
| | (3) कृषि आयुक्त, भारत सरकार |
| | (4) वाणिज्य मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि |

| | | |
|---|---|---|
| | (5) खाद्य विभाग का एक प्रतिनिधि | (2) श्री आर० एस० खाडेकर |
| | (6) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि | (3) श्री विश्वनाथ राय<br>(4) श्री महादेवप्पा रामपुरे |
| (ख) उत्पादकों के प्रतिनिधि | (1) उत्पादकों का एक-एक प्रतिनिधि निम्नलिखित सरकारों द्वारा नामजद किया जाना :—<br>(1) उत्तर प्रदेश<br>(2) महाराष्ट्र<br>(3) पंजाब<br>(4) हरियाना<br>(5) आन्ध्र प्रदेश<br>(6) मैसूर<br>(7) मद्रास<br>(8) बिहार | (च) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा ऐसे अतिरिक्त व्यक्तियों को नामजद किया जा सकता है जिनका प्रतिनिधि परिषद् में पहले नहीं है । |
| | (2) भारत सरकार द्वारा उत्पादकों का एक प्रतिनिधि नामजद किया जाना । | (4) सदस्य सचिव — निदेशक, क्षेत्रीय आफिस, गन्ना विकास, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) |
| (ग) उद्योग के प्रतिनिधि | (1) इण्डियन शूगर मिल्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि | (5) प्रेक्षक — (जो परिषद् के सदस्य नहीं होंगे किन्तु परिषद् के कार्यों में सहायता देने के लिए उन्हें नित्य आमन्त्रित किया जाएगा ) |
| | (2) नैशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज का एक प्रतिनिधि । | (1) सलाहकार, कृषि विपणन, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) |
| | (3) गुड़ तथा खाडसारी हितों के एक प्रतिनिधि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामजद किया जाना । | (2) संयुक्त सचिव, (वित्त), खाद्य और कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित |
| (घ) ट्रेड का प्रतिनिधि | निम्नलिखित स्थानों पर शूगर मरचैन्ट्स एसोसिएशन का एक-एक प्रतिनिधि :—<br>(1) बम्बई<br>(2) कानपुर<br>(3) कलकत्ता | (3) निदेशक, राष्ट्रीय गन्ना संस्था, कानपुर<br>(4) निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था, लखनऊ<br>(5) निदेशक, गन्ना प्रजनन संस्था, कोयम्बेटूर |
| (ङ) संसद सदस्य | संसदीय मामलों के विभाग की सलाह से भारत सरकार द्वारा नामजद किए गए चार संसद सदस्य —<br>(1) श्री कमल नाथ तिवारी | (6) उप आयुक्त (एक्सपोर्ट प्रोमोशन), खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) । |

2. परिषद् सलाहकार निकाय होगी और उसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए गन्ना विकास कार्यक्रमों पर समय-समय पर विचार करना ।

(2) निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में गन्ना विकास की प्रगति पर विचार तथा पुनर्विलोकन करना ।

(3) जहां आवश्यकता हो वहां विकास कार्यक्रमों/योजनाओं की गति को तीव्र करने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(4) गन्ना विपणन तथा व्यापार की जिसमे मूल्य नीति भी शामिल है, समस्याओं पर पुर्नविचार करना और सुधार के लिए सुझाव देना ।

(5) अन्य कार्य जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परिषद् को दिए जाएं ।

3. जिन क्षेत्रों मे गन्ना उगाया जाता है उनमे व्यापार तथा उद्योग के महत्त्वपूर्ण केन्द्रों मे आवधिक रूप से परिषद् की बैठके हुआ करेगी और परिषद् भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किया करेगी ।

4. परिषद् के सदस्यों की अवधि 3 वर्षो के लिए होगी । फिर भी यदि आवश्यकता होगी तो भारत सरकार उसे बढ़ा सकती है ।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ प्रशामित क्षेत्र और भारत सरकार के समस्त मन्त्रालय, योजना आयोग, कैबिनेट सैक्रेटेरिएट, लोक सभा तथा राज्य सभा सैक्रटेरिएट को भेजी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के गजट में सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए ।

एस० जे० माजुमदार, अतिरिक्त सचिव

---

## शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर 1967

सं० एफ० 1-8/67-वाई० एस० 2—शिक्षा मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित संकल्प सं० एफ० 11-16/58-पी० ई० 2, दिनाक 2-3-1959 के अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को 18 अक्तूबर 1967 से एक वर्ष के लिए अखिल भारतीय खेल परिषद् मे नामजद किया जाता है :—

**प्रधान**

(1) जनरल के० एम० करिअप्पा ।

**उप-प्रधान**

(2) श्री एम० आर० कृष्ण, संसद् सदस्य ।

**सदस्य**

(3) श्री हीरेन मुखर्जी, संसद् सदस्य ।

(4) श्री सुखदेव प्रसाद, संसद् सदस्य ।

(5) श्री प्रेम कृपाल, सचिव, शिक्षा मंत्रालय ।

(6) श्री एस० ए० [illegible], सचिव, [illegible] मंत्रालय ।

(7) श्री एम० विक्रम शाह, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय ।

(8) महामान्य ग्वालियर की राजमाता महारानी विजय राजे सिंधिया ।

(9) श्री दिलीप बोस ।

(10) श्री टी० डी० रंगारमानुजम ।

(11) श्री आर० महादेवन नायर ।

(12) श्री पी० एल० महता ।

(13) डा० डी० एस० रेड्डी, अध्यक्ष, भारत और श्रीलंका का अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड ।

(14) श्री के० डा० सिंह ।

(15) श्री पी० आर० उमरगर ।

(16) श्री बी० एन० बासु, प्रधान, भारत स्कूल खेल संघ ।

(17) श्री मुश्ताक अली ।

(18) श्री मुबिमल गोस्वामी ।

**सदस्य-सचिव**

(19) ए० बी० चन्द्रामार्णि, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय । दो और सदस्य बाद में नामजद किए जाएंगे ।

जे० सी० बोस, उप-शिक्षा सलाहकार

---

### संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्तूबर 1967

**विषय इम्पीरियल गजेटियर के खण्ड- का संशोधन**

सं० एफ० 3-15/66 जी० [illegible], खण्ड 2- भारत के गजेटियर का इतिहास और संस्कृति के लिए एक सलाहकार समिति का सहर्ष गठन करते हैं । समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :—

(1) प्रो० शेर सिंह, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अथवा विद्यमान वरिष्ठ मंत्री — अध्यक्ष

(2) डा० आर० सी० मजुमदार, 4, बिपिन पाल रोड, पो० कालीघाट, कलकत्ता-26 । — सदस्य

(3) डा० ए० डी० पुसालकर भण्डारकर, ओरिएण्टल रीसर्च इंस्टिट्यूट, पूना-4 । — सदस्य

(4) डा० ए० एल० श्रीवास्तव, वर्जीरपुरा रोड, सिविल लाइन्स, आगरा-3 । — सदस्य

(5) प्रो० पी० के० के० मेनन, सदस्य
अध्यक्ष,
इतिहास विभाग तथा सम्पादक
'जरनल आफ इण्डिया हिस्ट्री',
केरल विश्वविद्यालय,
त्रिवेन्द्रम ।

(6) डा० पी० सी० गुप्त, सदस्य
अध्यक्ष,
इतिहास विभाग,
यादवपुर विश्वविद्यालय,
कलकत्ता ।

(7) स्वामी सम्पूर्णानन्द, सदस्य
विद्या मार्तण्ड,
(भूतपूर्व कुलाधिपति,
गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय)
द्वारा आर्य समाज,
न्यू राजेन्द्रनगर,
नई दिल्ली ।

(8) प्रो० एस० एच० असकरी, सदस्य
संयुक्त निदेशक,
के० पी० जायसवाल अनुसन्धान
संस्थान,
पटना (बिहार) ।

(9) श्री जयचन्द्र विद्यालंकार (सहयोजित सदस्य)

(10) डा० पी० एन० चोपड़ा, सदस्य-सचिव
सम्पादक,
गजेटियर्स,
शिक्षा मन्त्रालय (गजेटियर्स यूनिट)
नई दिल्ली ।

यदि आवश्यक हो, तो अध्यक्ष एक अथवा दो सदस्यों को सहयोजित कर सकते हैं ।

2. सलाहकार समिति आमतौर पर, खण्ड, 2 ऐतिहासिक-भारत के इम्पीरियल गजेटियर के संशोधन से सम्बन्धित उठने वाले तकनीकी प्रश्नों के बारे में सरकार को सलाह देगी ।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

**ए० एम० डी० रोजारिओ, संयुक्त सचिव**

---

**समाज-कल्याण विभाग**

नई दिल्ली-1, दिनांक 25 अक्तूबर 1967

सं० एफ०-1-100/65-एस० डब्ल्यू-3—समाज-कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० 1-100/65-एस० डब्ल्यू०-3 दिनांक 19 जुलाई, 1967 के रूपान्तरण में भारत सरकार डा० एन० ए० आगा, संयुक्त सचिव, खाद्य, कृषि, सामुदायक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय, को श्री एस० एम० बर्नी के स्थान पर केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड में उस मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में सहर्ष नामित करती है ।

**बी० एस० रामदास, उप-सचिव,**

---

**संकल्प**

नई दिल्ली-1 दिनांक 28 अक्तूबर 1967

सं० एफ० 13-9/67-एस० डब्ल्यू०-2—भारत सरकार क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश के मानवीय तथा भौतिक साधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय करती रही है । मानवीय साधनों के विकास का सबसे अधिक कारगर उपाय बच्चों के कल्याण पर बल देना है । यद्यपि राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक-समाज-कल्याण संस्थाओं की सहायता से बाल-कल्याण के अनेक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है, तथापि देश में बच्चों की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना शेष है । इस समस्या के लिए विकास के विभिन्न स्तरों पर बच्चों की जरूरतों का निर्धारण करना तथा वर्तमान स्थितियों तथा कल्याण राज्य के, जिसे अपने लोगों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक न्याय और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता सुनिश्चित करना है, आदर्शों के अनुसार इन जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम तैयार करना अपेक्षित है ।

2. समाज-कल्याण विभाग में बाल-कल्याण के लिये पर्याप्त कार्यक्रम तैयार करने के वास्ते सरकार ने एक समिति बनाने का निर्णय किया है । समिति के कार्य इस प्रकार होंगे :—

(i) बच्चे की समुचित आवश्यकताएं, जिनमें प्रसव-पूर्व तथा प्रसव-उपरान्त देखभाल की व्यवस्थाएं, निरोधक तथा सामाजिक औषधि, पोषाहार, शारीरिक तथा भावात्मक सुरक्षा, मनोरंजन, शिक्षा तथा कल्याण सेवाएं भी शामिल हैं, निर्धारित करना;

(ii) उक्त कार्यों के लिए निधियों तथा कर्मचारी-वर्ग सम्बन्धी आवश्यकताएं आंकना; तथा

(iii) उन्हें बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का, प्राथमिकताओं और तरीकों तथा उपायों का सुझाव देना ।

समिति का संगठन इस प्रकार होगा :—

(1) श्री गंगा शरण सिन्हा, अध्यक्ष
संसद् सदस्य ।

(2) श्री कैलाशचन्द्र, सदस्य
समाज-कल्याण आयुक्त,
समाज-कल्याण विभाग ।

(3) डा० के० जी० पटनायक, सदस्य
निदेशक,
केन्द्रीय स्वास्थ्य बुद्धि ब्यूरो,
स्वास्थ्य सेवाओं का महा-
निदेशालय ।

(4) डा० के० बागची, सलाहकार पोषाहार, स्वास्थ्य सेवाओं का महा-निदेशालय । — सदस्य

(5) श्री एन० डी० सुन्द्रावाडिवेलु, संयुक्त शिक्षा सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय । — सदस्य

(6) डा० (कुमारी) सिन्दु कड़के, रीडर इन चाइल्ड वेलफेयर, सामाजिक कार्य का दिल्ली स्कूल, दिल्ली विश्वविद्यालय । — सदस्य

(7) डा० पी० के० कीमल, कार्यकारी निदेशक, पौष्टिक आहार कार्यक्रम, खाद्य विभाग । — सदस्य

(8) डा० डी० के० मल्होत्रा, संयुक्त सचिव, योजना आयोग । — सदस्य

(9) डा० (कुमारी) एन० विजयलक्ष्मी 121/बी०, सान थोमे हाई रोड, माइलापुर, मद्रास । — सदस्य

(10) श्री एम० सी० नानावती, सलाहकार, समाज-कल्याण, समाज-कल्याण विभाग । — सदस्य-मंत्री

समिति को आवश्यकता पड़ने पर अपने कार्य से सम्बन्धित व्यक्तियों को आमंत्रित करने का अधिकार होगा ।

4. समिति एक सलाहकार निकाय होगी तथा जब और जैसे आवश्यकता पड़ेगी, यह अपनी बैठकें करेगी तथा चार महीनो के भीतर यह अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी ।

**आदेश**

5. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारतीय राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए तथा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाए ।

कैलाश चन्द्र, आयुक्त (समाज कल्याण), पदेन संयुक्त सचिव

---

**सिंचाई व बिजली मंत्रालय**

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्तूबर 1967

**संकल्प**

सं० 7/7/61-एफ० बी० पी०—फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति का स्थापना से सम्बद्ध इस मंत्रालय के संकल्प सं० 7/7/-61-ग० बे०, दिनांक 29 जून 1961 जो संशोधन संकल्प सं० 7/7/6-ग० बे०, दिनांक 22 जुलाई 1961, सं० 7/7/61-ग० बे०/फ० ब० परि०, दिनांक 31 मई 1962, सं० 7/7/61-ग० बे०, दिनांक 15 नवम्बर 1962, सं० 7/7/61-ग० बे०/फ० ब० परि०, दिनांक 7 नवम्बर 1963, सं० 7/7/61-ग० बे०/फ० ब० परि०, दिनांक 25 मई 1965, सं० 7/7/66-फ० ब० प० दिनांक 24 दिसम्बर 1966, और सं० 7/7/61-ग० बे०/फ० ब० परि०, दिनांक 15 जुलाई 1967 से संशोधित है, का संशोधन करते हुए तथा इस निर्णय की परिपालना में कि तकनीकी सलाहकार समिति और उपकरण आयोजन व कार्यक्रम नियतन समिति को मिलाकर एक संस्था बना दी जाए, तकनीकी सलाहकार समिति का निम्नलिखित मिलाकर एक संस्था बना दी जाए, तकनीकी सलाहकार समिति का निम्नलिखित रूप से नवनिर्माण किया जाता है :—

(1) श्री ए० सी० मित्रा, तकनीकी सलाहकार, उत्तर प्रदेश, केनाल कालोनी, लखनऊ । — अध्यक्ष

(2) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (अथवा उसका प्रतिनिधि) । — सदस्य

(3) मुख्य अभियंता तथा पदेन संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सिंचाई व बिजली मंत्रालय । — सदस्य

(4) सदस्य (डी० एण्ड आर०) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग, — सदस्य

(5) सदस्य, (पी० एण्ड पी०), केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग नई दिल्ली । — सदस्य (जब उपकरण संबंधी प्रस्तावों पर विचार होगा) ।

(6) श्री एम० आर० चोपड़ा, उपकुलपति, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की । — सदस्य

(7) श्री एन० जी० के० मर्ति, अध्यक्ष, भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड, नई दिल्ली । — सदस्य

(8) श्री ए० के० चर, मुख्य अभियंता (निवृत्त), चंबल परियोजना । — सदस्य

(9) कलकत्ता पत्तम आयुक्त का प्रतिनिधि, कलकत्ता । — सदस्य

(10) मुख्य अभियंता, सदस्य
सिंचाई,
सिंचाई व जल मार्ग निदेशालय,
पश्चिम बंगाल सरकार ।

(11) परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय, सदस्य
(परिवहन विभाग) का प्रतिनिधि ।

(12) मुख्य अभियंता, सदस्य सचिव
फरक्का बराज परियोजना ।

2. (1) तकनीकी सलाहकार समिति को वे कार्य/अधिकार प्राप्त रहेंगे जो कि इसे नियंत्रण बोर्ड द्वारा सौंपे गए है ।

(2) तकनीकी सलाहकार समिति बोर्ड को निम्नलिखित विषयो पर सलाह भी देगी—

(क) परियोजना को लक्ष्य तिथि तक पूरा करने के लिये निर्माण कार्य-क्रम ।

(ख) वर्ष वार आधार पर व्यय का पुनरीक्षित प्राक्कलन जो कि रुपये तथा विदेशी मुद्रा भाग को पृथक्-पृथक् दर्शाते हुए सुझाए गए निर्माण कार्यक्रम के अनुकूल होगा; और

(ग) परियोजना के लिए प्राप्त किए जाने वाले सयंत्र तथा उपकरण का आयोजन तथा कार्यक्रम नियतन जिसमें परियोजना की अनुसूची अनुसार पूरा करने के लिए कार्य-क्रम की सामयिक कार्यान्विति को सुनिश्चित करने के हेतु मिट्टी के कार्य पर यान्त्रिकी उप-करण तथा मजदूरो के प्रयोग की मात्रा के प्रस्ताव भी शामिल होगे ।

3. फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड जैसे भी उचित समझेगा, अपने कुछ कार्य और अधिकार सलाहकार समिति को सौप सकता है ।

4. सलाहकार समिति नियत्रण बोर्ड की ओर से बोर्ड द्वारा सौंपे गए तकनीकी मामलों पर निर्णय भी लेगी ।

5. बोर्ड द्वारा सौपे गए विषयों पर सलाहकार समिति के महत्त्वपूर्ण निर्णयों का सारांश बोर्ड की सूचना के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

6. सलाहकार समिति की पूर्वनिर्धारित कार्यप्रणाली के विषयों में कोई परिवर्तन नही होगा ।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को पश्चिम बंगाल सरकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव तथा योजना आयोग के पास भेज दिया जाए ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा पश्चिम बंगाल सरकार से प्रार्थना की जाए कि वे आम सूचना के लिए उसको राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दे ।

बालेश्वर नाथ, संयुक्त सचिव

---

**श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय**

**(काम और रोजगार विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर 1967

स० डब्ल्यू० ई० 4/1/36/66—केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 3(एफ०) और (जी०) (iii) के अनुसार भारत सरकार एतद्द्वारा सर्वश्री एन० के० जोशी, श्रम सलाहकार व उप-सचिव राजस्थान सरकार, श्रम और रोजगार विभाग, जयपुर और एस० के० मिश्र, श्रमायुक्त हरयाना सरकार, चंडीगढ़, को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छः मास की समयावधि के लिए केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड में सम्बन्धित सरकारों के प्रतिनिधि नियुक्त करते है ।

2 तदनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना स० ई० एण्ड पी० 4(24)58, तिथि 12 दिसम्बर 1958/29 अग्रहायण, 1880 (समय-समय पर संशोधित) में निर्दिष्ट प्रविष्टियो —

"5. श्री आई० सी० पुरी,
सचिव,
पजाब सरकार,
श्रम सहकारी मुद्रण और खेलकूद विभाग,
चडीगढ़ ।"
"6. श्री टी० एस० संकरन,
सह सचिव,
मद्रास सरकार,
उद्योग,
श्रम और आवास विभाग,
मद्रास ।"

के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए—

"5. श्री एन० के० जोशी,
श्रम सलाहकार व उप-सचिव.
राजस्थान सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग,
जयपुर ।
"6. श्री एस० के० मिश्र,
श्रमायुक्त,
हरियाना सरकार,
चंडीगढ़ ।"

हंसराज छाबरा, अवर सचिव

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

*New Delhi, the 21st October 1967*

*No. 92-Pres./67.*—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Dhanna Ram,
Assistant Sub-Inspector No. 209 (*Officiating*),
29th Battalion, Punjab Armed Police,
Ferozepore.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

Shri Dhanna Ram was posted at PAP Barrier Picket near the Hussainiwala Bridge on the Ferozepore-Kasur Road, which was of great strategic importance and was the target of furious enemy action during the hostilities with Pakistan in 1965. On 7th September 1965, Shri Dhanna Ram led a successful counter attack by the Punjab Armed Police on the Pakistani posts of Kujjianwali and J.C.P.

On the night between 19/20th September, 1965, the Hussainiwala Bridge was attacked by the enemy in battalion strength supported by tanks and artillery. Shri Dhanna Ram who was at that time holding the Kujjianwali post on the left flank held on to his position in spite of very heavy shelling and repeated attacks by the Pakistan army supported by a large number of 'mujahids'. He eventually repulsed the massive attack even though the picket building was completely razed to the ground.

In these two incidents, Shri Dhanna Ram exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th September, 1965.

*No. 93-Pres./67.*—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Surjit Singh,
Head Constable No 6675 (*Officiating*),
29th Battalion Punjab Armed Police,
Ferozepore.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

Since 6th September, 1965, Head Constable Surjit Singh was posted at an observation post along with one Constable well ahead of the army positions in the Hussainiwala area. Shri Surjit Singh remained at his post through the heaviest shelling and attacks by the enemy and was able to convey extremely useful information regarding the positions of the enemy artillery guns. On two occasions he pin pointed enemy gun positions where they were least suspected to be, and so rendered valuable assistance to the Army.

Head Constable Surjit Singh displayed gallantry and devotion to duty of the highest order in utter disregard of his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th September, 1965.

*No. 94-Pres./67.*—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Giani Ram,
Constable No. 37/200,
37th Battalion, Punjab Armed Police,
Khem Karan. (*Deceased*)

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 6th September, 1965, the PAP Picket at Nurwala in Khem Karan, at which Constable Giani Ram was posted, came under heavy pressure. The Punjab Armed Police party posted at the picket withstood fury of intensive shelling by the Pakistan Armoured Division and returned the fire. Later the picket was withdrawn to a safer position.

On the 9th September, 1965, Shri Giani Ram was deputed to go into the area under the occupation of the enemy to find out its location and concentrations. In the face of heavy shelling by the enemy, Constable Giani Ram performed the hazardous task assigned to him but during one of his trips to the army positions he was spotted by the enemy and killed.

Constable Giani Ram set a magnificant example of devotion to duty in the performance of which he laid down his life.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th September, 1965.

*No. 95-Pres./67.*—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Atma Singh,
Constable No. 45/243,
45th Battalion, Punjab Armed Police,
Jammu. (*Deceased*)

Shri Sukh Ram,
Constable No. 45/242,
45th Battalion, Punjab Armed Police,
Jammu. (*Deceased*)

Shri Jawand Singh,
Constable No. 27/259,
45th Battalion, Punjab Armed Police,
Jammu. (*Deceased*)

Shri Mohinder Singh,
Constable No. 45/259,
45th Battalion, Punjab Armed Police,
Jammu. (*Deceased*)

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 15th September, 1965, about 500 Pakistani infiltrators, heavily armed with the latest weapons including machine guns, rocket launchers and mortars, launched a massive attack on a Company of Punjab Armed Police stationed at Palam in Jammu and Kashmir. The fury of the infiltrators was specially directed against one platoon. The men of the platoon fought back vigorously but when the ammunition began to run short, it was decided to withdraw the platoon to an alternate position near the Company's headquarters. Constable Atma Singh, Constable Sukh Ram Constable Jawand Singh and Constable Mohinder Singh volunteered to hold back the enemy till their comrades took position at the alternate site. They fought bravely and laid their lives after inflicting heavy casualties on the enemy. They succeeded in holding up the advance of the infiltrators but for which the entire platoon might have been liquidated.

The gallant action of these officers was a magnificent example of courage, self-sacrifice and devotion to duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th September, 1965.

*No. 96-Pres./67.*—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Misri Lal,
Constable No. 36/1608,
45th Battalion, Punjab Armed Police,
Jammu. (*Deceased*)

Shri Ratan Singh,
Constable No. 36/1964,
45th Battalion, Punjab Armed Police,
Jammu. (*Deceased*)

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

Reports were received that several bands of Pakistani infiltrators were hovering round the Bangolar and Rurki bridges on the Thana-Mandi Road in Rajouri District .

On the 31st August, 1965, a Punjab Armed Police Platoon was rushed to the area. While negotiating a bend about 7 miles from Rajouri, they were surprised by a large number of infiltrators who had set their MMGs on a ridge on one side of the road. Constable Misri Lal and Constable Rattan Singh volunteered to keep the enemy engaged with rifle fire while the rest of the platoon were getting out of the vehicles and taking up positions at suitable places. They engaged the infiltrators for over an hour during which they inflicted heavy casualties on the enemy, before they were mortally wounded.

Constable Misri Lal and Constable Rattan Singh displayed outstanding courage and devotion to duty in the performance of which they laid down their lives.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st August, 1965.

*No. 97-Pres./67.*—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Pritam Singh,
Deputy Superintendent of Police (*Officiating*),
No. P/68, 29th Battalion,
Punjab Armed Police,
Ferozepore.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

When hostilities commenced with Pakistan, Shri Pritam Singh, Deputy Superintendent of Police, was posted as Assistant Commandant at Hussainiwala Headworks. When the Indian armed forces moved up, Shri Pritam Singh personally accompanied their reconnaissance parties and thoroughly acquainted them with surrounding area. Under his leadership the Punjab Armed Police were able to dislodge the enemy from their pickets at Kikkar Towar, Kujjianwali and J.C.P. and captured 4 Pakistan Rangers with their arms and ammunition.

On the night of 19/20th September, 1965 when a furious attack was launched by the enemy in battalion strength, Shri Pritam Singh was a source of inspiration to his men and carried out his tasks unperturbed and entirely unmindful of his personal safety.

Shri Pritam Singh displayed great courage and devotion to duty by his willingness to undertake the most hazardous tasks.

2. This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal.

*No. 98-Pres./67.*—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Gurbachan Singh,
Sub-Inspector No. 28/PAP (*Officiating*),
33rd Battalion, Punjab Armed Police,
Wagah.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

During the hostilities with Pakistan, Sub-Inspector Gurbachan Singh rendered very useful assistance to the army in reconnoitring the forward areas and guiding them to their objectives.

On the 7th September, 1965, Shri Gurbachan Singh led an army detachment for reconnaissance to a village near the Ichhogil Canal, which was strongly held by the enemy forces. He went alone to the canal to see whether our forces had crossed it. While doing so he was spotted by the enemy and came under heavy fire. With great courage and presence of mind, he managed to crawl back along the distributary to where the army officers were waiting for him. The shelling was so intensive that the party had to retreat, leaving behind their vehicles. Later, Shri Gurbachan Singh again led the army to the canal

Shri Gurbachan Singh exhibited great courage and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th September, 1965.

*No. 99-Pres./67.*—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Atma Singh,
Sub-Inspector of Police No 5355 (*Officiating*),
37th Battalion,
Punjab Armed Police.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

During the Indo-Pakistan hostilities, Shri Atma Singh, Sub-Inspector of Police, was posted as Picket Commander at Rajoke in the Kasur Sector.

On the 6th September, 1965, Shri Atma Singh displayed great courage and initiative by advancing deep into enemy territory to meet the challenge of the Pakistani forces. This attack was repulsed but Shri Atma Singh continued to engage the enemy for three days. Ultimately, the enemy launched a massive counter-attack from three sides and overran the Punjab Armed Police Picket. Undeterred by the numerically superior enemy, Shri Atma Singh and his men took up positions in the trenches and continued to fight valiantly until they forced the enemy to retreat. As a result, the PAP Picket was recaptured on 13th September, 1965

Shri Atma Singh exhibited conspicuous gallantry, initiative and devotion to duty of a high order

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th September, 1965.

*No. 100-Pres./67.*—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Parkash Singh,
Head Constable No. 20/14,
20th Battalion, Punjab Armed Police
Fazilka.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

In their bid to capture Fazilka town, the Pakistani army launched a surprise attack on various police pickets around the town on 6th September, 1966. Head Constable Parkash Singh was posted as a Section Commander at the Punjab Armed Police Picket at Sadiqi. The picket was heavily shelled. Undaunted Shri Parkash Singh with his section returned effective fire and engaged the enemy for over half an hour. During this period, he moved place to place giving instructions to his men and often exposing himself to enemy fire. Though seriously wounded the Head Constable continued to hold the post. The post was ultimately over-run by the enemy. But the valiant resistance put up by Shri Parkash Singh afforded an opportunity to our army to move up and check the enemy forces from advancing deeper into Indian territory.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th September, 1965.

*No.* 101-*Pres.*/67.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Banta Singh,
Head Constable No. 66,
29th Battalion, Punjab Armed Police,
Ferozepore.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 7th September, 1965, Head Constable Banta Singh participated in a successful attack on the Pakistani posts of Kujjianwali and J.C.P. in which he displayed courage and initiative. The posts were captured along with four Rangers with their arms.

On the night of 19th/20th September, 1965, when the Hussainiwala Bridge was attacked by the enemy in battalion strength supported by tanks and artillery, Shri Banta Singh and his men stood their ground in spite of heavy shelling and repeated attempts of the enemy to capture the bridge. He and his men fought bravely and were instrumental in repulsing the massive attack even though the picket building was razed to the ground.

By his courage, devotion to duty in the face of heavy odds, Head Constable Banta Singh set a fine example to his men.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 20th September, 1965.

*No.* 102-*Pres.*/67.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Armed Police :—

*Names of the officers and ranks*

Shri Nirmal Singh,
Head Constable No. 20/345 (*Officiating*),
20th Battalion, Punjab Armed Police,
Fazilka. (*Deceased*)

Shri Suraj Mal,
Constable No. 20/529,
20th Battalion, Punjab Armed Police,
Fazilka. (*Deceased*)

Shri Sham Singh,
Constable No. 20/583,
20th Battalion, Punjab Armed Police,
Fazilka. (*Deceased*)

Shri Santa Singh,
Constable No. 20/320,
20th Battalion, Punjab Armed Police,
Fazilka.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 6th September, 1965, the Pakistan Army and irregulars equipped with latest automatic weapons launched a full scale attack along the border in the Fazilka area. The main fury of the enemy was directed towards the strategic picket of Jhangar. The small police detachment faced the challenge. During the grim battle Head Constable Nirmal Singh boldly led his men and moved from place to place in utter disregard of his safety. Shri Nirmal Singh and Constable Suraj Mal, Sham Singh and Santa Singh inflicted heavy casualties on the enemy. The detachment was locked in the unequal combat for over half an hour. Shri Nirmal Singh, Shri Suraj Mal and Shri Sham Singh laid down their lives while discharging their duty and fighting the numerically superior enemy. Shri Santa Singh also fought fearlessly and by moving from one place to another, he engaged the enemy till he was disabled by enemy bullets.

Though the picket was overrun by the enemy, the valiant resistance put up by these brave men held up the enemy advance, giving sufficient time to our army to move up. But for their courageous resistance the enemy might have advanced much deeper into our territory.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th September, 1965

*No.* 103-*Pres.*/67.—The President is pleased to award Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Jarnail Singh,
Constable No. 196/R,
29th Battalion, Punjab Armed Police,
Ferozepore.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

During the battle at Hussainiwala in the course of hostilities with Pakistan in September, 1965. Constable Jarnail Singh was posted as a Linesman at Punjab Armed Police Picket perimeter near the Hussainiwala Bridge on the Ferozepore-Kasur Road. This area was of great strategic importance and was the target of furious enemy action throughout the hostilities. The Punjab Armed Police officers and men fought shoulder to shoulder with their army comrades and also rendered extremely useful assistance in reconnoitring the forward areas. The perimeter picket throughout remained under concentrated enemy shelling and was repeatedly attacked. Due to heavy shelling the telephone lines were frequently damaged, breaking the only link of the local Army Commander on both the flanks of the Bridge. Constable Jarnail Singh repeatedly volunteered to repair the Army communication lines under heavy enemy shelling at all times of day and night. He carried out the task with great courage and technical skill and in utter disregard for his personal safety.

Constable Jarnail Singh displayed great courage, initiative and devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 20th September, 1965.

*No.* 104-*Pres.*/67.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank.*

Shri Shiv Narain,
Constable No. 29/448,
29th Battalion, Punjab Armed Police,
Ferozepore.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

During the hostilities with Pakistan in 1965, Constable Shiv Narain was posted at Punjab Armed Police Picket Shameke on the right flank of the main army position. On the 19th September, 1965, during the massive attack on Hussainiwala, the P.A.P. Picket Shameke came under heavy shelling and firing by the enemy. The platoon holding this picket had to be withdrawn to a place on the river bank. A police patrol which included Constable Shiv Narain was sent out to reconnoitre the area. This patrol was caught in an exposed position and came under heavy artillery fire. Constable Shiv Narain received serious injuries on his right leg in the shelling. When the position of the patrol party became untenable, Constable Shiv Narain though severely injured, asked his colleagues to withdraw while he gave them covering fire. The brave Constable engaged the enemy single-handed and helped his comrades to withdraw to a safer place. Constable Shiv Narain continued to fire till his rifle was damaged and then he managed to crawl back to a safer position.

Constable Shiv Narain showed conspicuous devotion to duty and courage in face of enemy action even though he was wounded.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th September, 1965.

*No.* 105-*Pres.*/67.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank.*

Shri Balbir Singh,
Constable No. 29/630,
29th Battalion, Punjab Armed Police,
Ferozepore. (*Deceased*)

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

At the time of hostilities with Pakistan in September, 1965, Constable Balbir Singh was posted at the Punjab Armed Police Perimeter Picket near the Hussainiwala Bridge. This area was of great strategic importance and was the target of furious enemy action.

On the night of 19/20th September, 1965, the Pakistani forces launched a heavy attack. Our positions in the area came under heavy shelling and the enemy tanks and infantry advanced within a 100 yards of P.A.P. Picket. Unmindful of the heavy odds, the P.A.P. men exhibited the greatest devotion to duty and courage and stuck to their posts inflicting heavy casualties on the enemy. They engaged the enemy for about four hours. Throughout this action, Constable Balbir Singh exhibited exceptional courage and devotion to duty. In utter disregard of his personal safety he made a number of trips for bringing ammunition for this contingent. During one of these trips he was hit by enemy shell and succumbed to his injuries.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th September, 1965.

*No.* 106-*Pres.*/67.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank.*

Shri Harnek Singh,
Constable No. 33/407,
33rd Battalion,
Punjab Armed Police.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 6th September, 1965, when our forces moved into enemy territory along the Khalra-Burki axis, the Punjab Armed Police officers and men rendered valuable assistance in reconnoitring the forward areas and guiding the army detachments to their objectives. They acted as guides and scouts for the army and fought shoulder to shoulder with the armed forces.

Constable Harnek Singh volunteered for guiding the army in the Than Kullah Sector. He displayed exceptional courage and devotion to duty in the course of the attack on the enemy Ranger's picket at Rakh Hardit Singh. A Ranger had taken up position on the roof of this Picket with an LMG. Constable Harnek Singh, despite firing by the enemy Ranger, climbed the roof of the picket from other side and at great personal risk overpowered the Ranger. His act of bravery facilitated the taking of this enemy post.

Constable Harnek Singh displayed courage of the highest order, in the face of enemy fire, in utter disregard for his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th September, 1965.

*No.* 107-*Pres.*/67.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank.*

Shri Harbans Singh,
Constable No. 33/677,
33rd Battalion, Punjab Armed Police,
Wagha.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

At the time of the thrust made by our army into Pakistan territory in the Wagha Sector on the 6th September, 1965, the Punjab Armed Police officers and men posted along the border in this area rendered extremely useful assistance to the armed forces in reconnoitring the forward areas and guiding the army detachments to their objectives. Constable Harbans Singh was posted as a driver at the P.A.P. Picket Wagha. He volunteered to guide our armed units into Pakistan territory. He sat on the foremost Indian tank at the head of the armoured column and carried out the task allotted to him in utter disregard of his personal safety and rendered very useful guidance to the armoured column.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th September, 1965.

*No.* 108-*Pres.*/67.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank.*

Shri Kartar Singh,
Constable No. 2/114,
2nd Battalion,
Punjab Armed Police.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

During the hostilities with Pakistan in 1965, Constable Kartar Singh was one of a member of detachment of one Head Constable and 6 Constables of the Punjab Armed Police stationed to guard the Chowki Bal Bridge in Srinagar District. On the night of 8th August, 1965, when Constable Kartar Singh was on sentry duty at the bridge, a band of Pakistani raiders about 25 strong armed with rocket launchers, MMGs and automatic rifles made a surprise raid and simultaneously opened fire on the sentry and the guard room so that it was not possible for the guard to come to his assistance. Constable Kartar Singh engaged the raiders single-handed, returned the fire and kept the raiders at bay. The exchange of fire lasted for over half an hour and as a result of the stiff resistance put up by Shri Kartar Singh, the raiders had to retreat leaving behind the demolition charges they had brought to blow up the bridge.

Constable Kartar Singh displayed conspicuous gallantry and devotion to duty of a very high order and saved a vital bridge from destruction by enemy infiltrators.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th August, 1965.

*No.* 109-*Pres.*/67.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank.*

Shri Amrik Singh,
Constable No. 2/337,
2nd Battalion,
Punjab Armed Police.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

A Punjab Armed Police guard of 1 Assistant Sub-Inspector and 6 Constables including Constable Amrik Singh was posted to guard the Shamsha Bridge on the Dras Kargil Road in Jammu and Kashmir. On the night of the 9th September, 1965, a platoon of Pakistani raiders attacked the bridge with rocket-launchers, LMGs and automatics rifles. As a result the Assistant Sub-Inspector and one of the constables received fatal injuries and the LMG of another Constable was damaged and rendered ineffective. Three constables including Shri Amrik Singh who were in a bunker returned the fire. The intensity of enemy's fire was so great that a hole was made in one of the walls of the bunker and Shri Amrik Singh was hit by the flying debris and was injured. He, however, continued firing at the raiders with his LMG. The exchange of fire lasted for over an hour during which he was hit again. Encountering stiff opposition, the raiders retreated in the dark and the bridge was saved from destruction.

Constable Amrik Singh displayed great determination, courage and devotion to duty of a very high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th September, 1965.

*No.* 110-*Pres.*/67.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank.*

Shri Balkar Singh,
Constable No. 2/470,
2nd Battalion,
Punjab Armed Police.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

A detachment of the Punjab Armed Police comprising of Constable Balkar Singh and others was posted at the Pushkyam Bridge on the Kargil-Leh Road for its protection during the hostilities with Pakistan in 1965. On the night of the 9th October, 1965, when Constable Balkar Singh was on sentry duty on one side of the bridge, about 40 Pakistani raiders made a surprise attack on the bridge with rocket-launchers, machine guns and other automatic weapons. Constable Balkar Singh was seriously injured on the left arm. The raiders taking him for dead advanced towards the bridge. Constable Balkar Singh, however, crawled to the other side of the bridge and opened fire on the raiders from there. The other members of the guard simultaneously took up positions and engaged the raiders. The exchange of fire lasted for half an hour. In the end the raiders were forced to retire and their attempt to blow up the bridge was foiled.

Constable Balkar Singh displayed courage and determination of a very high order in this encounter.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th October, 1965.

*No.* 111-*Pres.*/67.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank.*

Shri Tota Ram,
Constable No. 27/477,
45th Battalion, Punjab Armed Police,
Jammu.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

A company of the Punjab Armed Police, including Constable Tota Ram was stationed at Palam in Jammu and Kashmir for the protection of the civil population. On the 15th September, 1965, about 500 Pakistani infiltrators armed with machine guns, rocket launchers and other weapons made a massive attack on the company at day-break. The fury of the infiltrators was specially directed against one platoon. The men of this platoon fought back vigorously but when their ammunition began to run short, it was decided to withdraw to an alternate position near the Company's headquarters. Constable Tota Ram and other reorganised themselves at the new location. Though he was injured he continued to operate his LMG and caused heavy casualties. In order to give the enemy the impression that there were several LMGs, he fired his weapon from different positions even though by doing so exposed himself the enemy fire. This frightened the raiders who fled leaving behind their dead.

Constable Tota Ram displayed great courage and tenacity and saved the platoon from being wiped out.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th September, 1965.

*No.* 112-*Pres.*/67.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Armed Police :—

*Name of the officer and rank.*

Shri Sukhdev Singh,
Constable No. 45/405,
45th Battalion,
Punjab Armed Police

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

A company of the Punjab Armed Police, including Constable Sukhdev Singh was stationed at Palam in Jammu and Kashmir for the protection of the civil population. On the 15th September, 1965, about 500 infiltrators armed with machine guns, rocket launchers and other weapons attacked the company at day-break. One column of the infiltrators advanced towards the trench occupied by Constable Sukhdev Singh and others. The invaders, who were far superior in number and armament, called upon these constables to surrender. Constable Sukhdev Singh, with great presence of mind and daring, collected four hand grenades, jumped out of the trench and threw them one by one at the advancing enemy taking a heavy toll of them. This bold action demoralised the infiltrators, who had already suffered heavy casualties, and they withdrew into a thick jungle.

Constable Sukhdev Singh displayed great courage and devotion to duty in the face of overwhelming odds.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissbile under rule 5, with effect from the 15th September, 1965.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President.

## MINISTRY OF COMMERCE

*New Delhi, the 27th October 1967*

*CORRIGENDUM*

*No.* 19(15)*Plant*(*B*)/67.—In Resolution No. 19(15)Plant (B)/67 dated the 26th September, 1967 of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in the Gazette of India Extraordinary dated the 27th September, 1967, the following amendment shall be made; namely,

After item No. (5) under paragraph 4, the following shall be added, namely :—

"(6) Dr. K. T. Jacob,
Director of Research-*cum*-Rubber Production Commissioner,
Rubber Board,
Kottayam (Kerala) *Member-Secretary*"

ORDER

ORDERED that the corrigendum be communicated to all concerned

ORDERED also that the corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

P. C. ALEXANDER, Jt. Secy

## MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS

**(Department of Iron and Steel)**

RESOLUTION

*New Delhi, the 21st October 1967*

*No. RM*-2(23)/67.—The question of quality control of coal received at the steel plants and at the coal washeries from various collieries has been engaging the attention of the Government of India for some time past. The steel plants have been receiving inferior quality of coal from Collieries as compared to declared grades on the basis of which payments had to be made. A scheme of Joint Sampling was introduced in August 1964 on the basis of voluntary agreement between the suppliers and the consumers but it failed because most of the Collieries which joined this voluntary scheme of Joint Sampling withdrew after the expiry of the initial periods of agreement.

2 In June 1966 a Joint Group consisting of the representatives of Hindustan Steel Limited and the Coal Trade was entrusted with the task of arranging experiments to be conducted on sampling of coal in order to evolve a practical and rational approach to this problem of Joint Sampling. This Group was expected to submit an interim Report within a month but nothing concrete emerged

3 As a result of discussion held with the representatives of Coking Coal Industry on September 15, 1967 it was noted that there was no difference of opinion with regard to the necessity for Joint Sampling and the difference related mainly to the point at which this Joint Sampling should be done. The Government of India have decided to set up a Committee consisting of the representatives of producers of coking coal and integrated steel plants to evolve a satisfactory system of Joint Sampling including the point or points at which it should be done

The Committee will consist of the following :—

*Members*

1. Shri D. K Basu, Supdt, Coal Washeries Project, Dhanbad.

or his Alternate

Shri M. Jha, Deputy Supdt. Coal Washeries Project, Dhanbad

2. Shri T. R. Anantharaman, Supdt., Central Engineering Design Bureau, Ranchi.

3. Dr. U. N. Bhrany, M/s Indian Iron & Steel Co., 12-Mission Row, Calcutta-1.

4. Shri K. Z. George, Technical Adviser, Representative of M/s. Tata Iron & Steel Co., Jamshedpur.

5. Shri I. M. Thapar, M/s. Karam Chand Thapar & Bros. Ltd., Calcutta.

6. Shri R. Maulik, M/s. Jardine Henderson Ltd., 4, Clive Row, Calcutta.

7. Shri D. K. Samanta, Patherdih Colliery, P.O. Patherdih, Dhanbad.

Shri D. K. Samanta will be the convenor of this Committee. The Committee would also co-opt a representative of Indian Standards Institution after the preliminary studies have been completed.

4. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) to consider the Paper to be prepared by Joint Working Committee of coal industry bringing out the difficulties in Joint Sampling and making suggestions for removal of the difficulties involved;

(ii) to consider the paper to be prepared by Hindustan Steel Limited regarding Joint Sampling;

(iii) to consider the report of an Independent Agency which as an experimental measure and as a part of the entire process would be appointed by Hindustan Steel Ltd., and which should start working from December 1, 1967. This Independent Agency would carry out sampling and analysis simultaneously at selected loading points, say 20 to 30 and at destinations. This Agency would explain the reasons if sampling and analysis at two points showed variations in quality. This would bring out the real difficulties involved in the implementation of Joint Sampling at one place or the other; and

(iv) to evolve a mutually acceptable system of Joint Sampling.

5. The Committee will submit its report to the Government of India, Department of Iron and Steel, New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

H. LAL, Secy.

## MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

**(Department of Agriculture)**

RESOLUTION

*New Delhi-1, the 28th October 1967*

*No.* 8-8/67-*C.C.II.*—It has been decided to reconstitute the Indian Sugarcane Development Council set up *vide* Government of India's Resolution No. 6-8/65-Reorgn.(CC) dated the 21st December, 1965. The reconstituted Council will consist of the following :—

I. *Chairman*

One of the growers' representative on the Council to be nominated by the Government of India.

II. *Vice-Chairman*

The Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture.

III. *Members*

(a) *Representatives of the Central and State Governments.*

(1) One representative each of the State Government in the Department of Agriculture/Cane Development to be nominated by the Governments of

(i) Uttar Pradesh
(ii) Maharashtra
(iii) Punjab
(iv) Haryana
(v) Andhra Pradesh
(vi) Mysore
(vii) Madras
(viii) Bihar.

(2) One representative of the Planning Commission.

(3) Agricultural Commissioner with the Government of India.

(4) One representative of the Ministry of Commerce.

(5) One representative of the Department of Food.

(6) One representative of the Indian Council of Agricultural Research.

(b) *Growers' representatives.*

(1) One representative of the growers each to be nominated by the Governments of

(i) Uttar Pradesh
(ii) Maharashtra
(iii) Punjab
(iv) Haryana
(v) Andhra Pradesh
(vi) Mysore
(vii) Madras
(viii) Bihar.

(2) One representative of growers to be nominated by the Government of India.

(c) *Representatives of Industry*

(1) One representative of the Indan Sugar Mills' Association.

(2) One representative of the National Federation of Co-operative Sugar Factories.

(3) One representative of Gur and Khandsari interests to be nominated by the Government of Uttar Pradesh.

(d) *Representatives of Trade.*

One representative each of the Sugar Merchants' Association at

(1) Bombay
(2) Kanpur
(3) Calcutta.

(e) *Members of Parliament*

Four members of Parliament nominated by the Government of India in consultation with the Department of Parliamentary Affairs :—

(i) Shri Kamal Nath Tewari
(ii) Shri R. S. Khandekar
(iii) Shri Bishwanath Roy
(iv) Shri Mahadevappa Rampure .

(f) Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India to represent interest(s) not already represented in the Council.

IV. *Member-Secretary*

The Director, Regional Office, Sugarcane Development, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Agriculture)

V. *Observers*

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

(1) Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

(2) Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Food and Agriculture.

(3) Director, National Sugar Institute, Kanpur.

(4) Director, Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow.

(5) Director, Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore.
(6) Deputy Commissioner (Export Promotion), Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture).

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) to consider, from time to time, the sugarcane development programmes formulated by the Central and State Governments;

(ii) to consider and review the progress of sugarcane development in the context of targets laid down;

(iii) to recommend measures for accelerating the tempo of development programmes/schemes, wherever necessary.

(iv) to consider and review the problems of sugarcane marketing and trade, including price policy, and to make suggestions for improvement; and

(v) any other functions which may, from time to time, be assigned by the Government of India to the Council.

3 The Council will meet periodically in important centres of trade and industry, in areas in which sugarcane is grown and will make its recommendations to the Government of India.

4. The term of the members of the Council will be for three years. It may, however, be extended by the Government of India, wherever considered necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. J. MAJUMDAR, Additional Secy.

## MINISTRY OF EDUCATION

### RESOLUTION

*New Delhi-2, the 20th October 1967*

SUBJECT :—*Revision of Volume II of the Imperial Gazetteer*

*No. F.* 3-15/66-*G.U.*—The President is pleased to constitute an Advisory Committee for Volume II—History & culture of the Gazetteer of India. The composition of the Committee shall be as follows :—

*Chairman*

1 Prof. Sher Singh, Minister of State in the Ministry of Education or the senior-most historian present.

*Members*

2. Dr. R. C. Majumdar, 4, Bepin Pal Road, P.O. Kalighat, Calcutta-26.

3. Dr. A. D. Rusalkar, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona-4.

4. Dr. A. L. Srivastava, Wazirpura Road, Civil Lines, Agra-3.

5 Prof. P. K. K. Menon, Head of the Department of History & Editor : Journal of Indian History, University of Kerala, Trivandrum.

6. Dr. P. C. Gupta, Head of the Department of History, Jadavpur University, Calcutta.

7. Swami Smarpananand, Vidya Martand (Ex-Chancellor, Gurukul Kangri, Vishwa Vidyalaya), C/o Arya Samaj, New Rajinder Nagar, New Delhi.

8. Prof. S. H. Askari, Joint Director, K. P. Jayaswal Research Institute, Patna (Bihar).

*Co-opted Member*

9 Shri Jai Chandra Vidyalankar, Presso Dott. Ing A Narang, Corso Peschiera-277, TORINO (Italy).

*Member-Secretary*

10. P. N. Chopra, Editor, Gazetteers, Ministry of Education, (Gazetteers Unit), New Delhi.

The Chairman may co-opt one or two members, if necessary.

2. The Advisory Committee will advise the Government generally in regard to technical questions that may arise in connection with the revision of Volume II—*Historical*—of the Imperial Gazetteer of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Ministries of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

A. M. D'ROZARIO, Jt. Secy.

## DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

*New Delhi-1, the 25th October 1967*

*No. F.* 1-100/65-*SW.*3.—In modification of the Department of Social Welfare's Notification No. F. 1-100/65-SW.3 dated the 19th July 1967, the Government of India are pleased to nominate Dr. N. A. Agha, Joint Secretary, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation as the representative of that Ministry on the Central Social Welfare Board *vice* Shri S. M. H. Burney.

B. S. RAMDAS, Dy. Secy.

### RESOLUTION

*New Delhi-1, the 28th October 1967*

*No. F.* 13-9/67-*SW*-2.—The Government of India have been taking various measures to promote the development of the country's human and material resources through successive Five Year Plans. One of the most effective means of developing human resources is to concentrate on the welfare of children. Although numerous programmes of Child Welfare have been promoted both with the help of the State Governments and Voluntary Social Welfare organisations, much remains to be done for meeting the essential needs of children in the country. The problem requires an assessment of the needs of the child during the various stages of development and formulation of programmes to meet these needs in the context of the prevailing conditions and the ideals of a welfare State wedded to ensure its people social and economic justice, and equality of status and of opportunity.

2. The Government have decided to set up a Committee for the preparation of an adequate programme for Child Welfare in the Department of Social Welfare. The functions of the Committee shall be :—

(i) To determine the adequate needs of the child including provisions for pre-natal and post-natal care, measures of preventive and social medicine, nutrition, physical and emotional security, recreation, education and welfare services;

(ii) to assess the requirements of funds and personnel for the above; and

(iii) to suggest programmes, priorities and ways and means of promoting the same.

The composition of the Committee shall be :

*Chairman*

(i) Shri Ganga Sharan Sinha, M.P.

*Members*

(ii) Shri Kailash Chandra, Commissioner of Social Welfare, Department of Social Welfare.

(iii) Dr. K. G. Pattnaik, Director of Central Health Intelligence Bureau, D.G.H.S.

(iv) Dr. K. Bagchi, Adviser, Nutrition, D.G.H.S.

(v) Shri N. D. Sundaravadivelu, Joint Educational Adviser, Ministry of Education.

(vi) Dr. (Miss) Sindu Phadke, Reader in Child Welfare, Delhi School of Social Work, Delhi University.

(vii) Dr. P. K. Kymal, Executive Director, Food Nutrition Programme, Department of Food.

(viii) Dr. D. K. Malhotra, Joint Secretary, Planning Commission.

(ix) Dr. (Miss) S. Vijayalakshmi, 121/B San Thome High Road, Mylapore, Madras.

*Member-Secretary*

(x) Shri M. C. Nanavatty, Adviser, Social Welfare, Department of Social Welfare.

The Committee shall have the power to invite persons to be associated with its work as required.

4. The Committee shall be an advisory body and shall hold its meetings as and when necessary, and submit its report to Government within four months.

5. ORDERED that this Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

KAILASH CHANDRA, Commissioner (Social Welfare) & *Ex-officio* Jt. Secy.

## MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING

**(Transport Wing)**

RESOLUTION

*New Delhi, the 28th October* 1967

*No. 6-RSN(6)/67.*—The Rivers Steam Navigation Company Limited, Calcutta, operated river transport services between Calcutta and Assam till September, 1965, when these services were suspended following the Indo-Pakistan hostilities. This Company was closed on the 3rd May, 1967, and a Corporation fully owned by the Government of India had been set up in February, 1967, with headquarters at Calcutta. This Corporation started operating internal river transport services in Assam, lighterage services in Calcutta etc. from June, 1967.

Representations have been received that a single organisation, controlling its operations from Calcutta, will not be able to meet the transport requirements of Assam. It has been suggested that the Assam services of the Central Inland Water Transport Corporation should be organised into a separate unit, with headquarters in Assam, so that the transport needs of that State could be met adequately. It has accordingly been decided to appoint a Study Group to examine the matter.

2. The composition of the Study Group will be as follows :—

*Chairman*

(i) Shri B. Bhagavati, Member, Lok Sabha.

*Members*

(ii) Secretary to the Government of Assam, Transport Department, Shillong.

(iii) Secretary to the Government of Assam, Industries Department, Shillong.

(iv) A representative of the Ministry of Railways.

(v) A representative of the Planning Commission.

(vi) A representative of the Ministry of Transport and Shipping.

(vii) Shri Hemen P. Barua, Club Road, Jorhat, Assam.

(viii) Director of Tea Development, Tea Board—India Calcutta.

(ix) Chairman and Managing Director, Central Road Transport Corporation Limited, Calcutta.

(x) Director of Transportation, Engineer-in-Chief's Branch, Army Headquarters, New Delhi.

*Member-Secretary*

(xi) Managing Director, Central Inland Water Transport Corporation, Calcutta.

3. The Study Group will examine the economics and operational feasibility of setting up a separate organisation based in Assam to provide river services in Assam, with an assessment of the viability of such an arrangement and in that connection, will

(a) examine port, dry docking and other facilities available at present and with regard to future requirements for the economic operation of river services, suggest optimum requirements for such services together with an estimate of their cost;

(b) assess the volume of traffic to and from Assam and consider the feasibility of earmarking traffic for river transport within Assam as also for river-*cum*-rail and river-*cum*-road transport between Assam and the other States;

suggest practical measures for coordinating rail, river and road transport in Assam, with particular reference to the coordinated integration of operation by the Railways, the Central Inland Water Transport Corporation and Central Road Transport Corporation; and

(d) study any other matter *germane* to the subject.

4. The Group will submit its report within three months and may visit such places as may be necessary in connection with its work.

5. Government of India hope that the State Governments and others concerned will afford the Study Group all the assistance it may require and supply it with any information it may ask for.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and also that it may be published in the Gazette of India.

Z. S. JHALA, Jt. Secy.

## MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

*New Delhi, the 25th October* 1967

*No. 7/7/61-FBP.*—In partial modification of the Ministry of Irrigation and Power Resolution No. 7/7/61-GB dated 29th June, 1961, as amended by Resolutions No. 7/7/61-GB dated 22nd July, 1961, No. 7/7/61GB/FBP dated 31st May 1962, No. 7/7/61-GB, dated 15th November, 1962, No. 7/7/61-GB/FBP, dated 7th November, 1963, No. 7/7/61-GB/FBP, dated 25th May, 1965, No. 7/7/66-FBP, dated 24th December, 1966 and No. 7/7/61-GB/FBP dated 15th July, 1967, regarding the constitution of the Technical Advisory Committee of the Farakka Barrage Control Board and pursuant to the decision that the Technical Advisory Committee and the Equipment Planning & Programme Scheduling Committee be combined into one, the Technical Advisory Committee is reconstituted as under :

*Chairman*

1. Shri A. C. Mitra, Technical Consultant, U.P., Canal Colony, Lucknow-1.

*Members*

2. Chairman, Central Water and Power Commission (or his representative).

3. Chief Engineer and *ex-officio* Joint Secretary to the Government of India, Ministry of I. & P.

4. Member (D&R), Central Water & Power Commission, New Delhi.

(*Member when proposals involving equipment to be considered*)

5. Member (P&P), Central Water and Power Commission, New Delhi.

6. Shri M. R. Chopra, Vice Chancellor, University of Roorkee, Roorkee.

7. Shri N. G. K. Murti, Chairman, Bhakra Management Board, New Delhi.

8. A. K. Char, Chief Engineer (Retired), Chambal Project.

9. Representative from the Calcutta Port Commissioners, Calcutta.

10. Chief Engineer, Irrigation, Irrigation & Waterways Directorate, Government of West Bengal.

11. Representative of the Ministry of Transport & Shipping (Department of Transport).

*Member-Secretary*

12. Chief Engineer, Farakka Barrage Project.

2. (i) The Technical Advisory Committee shall continue to have such functions/powers which have been entrusted/ delegated to it by the Control Board.

(ii) The Technical Advisory Committee shall also advise the Board on—

(a) the programme of construction of the project with a view to completing it by the target date;

(b) the revised estimate of expenditure on year-wise basis which will correspond with the recommended programme of construction indicating rupee and foreign exchange components separately; and

(c) the planning and programme scheduling of plant and equipment to be procured for the Project including proposals on the extent of use of mechanical equipment versus manual labour for earthwork ensuring timely implementation of the programme for the completion of the Project according to schedule.

3. The Farakka Barrage Control Board may further entrust the Advisory Committee with such of its functions and delegate to it such of its powers as it may deem fit.

4. The Advisory Committee shall take decisions on behalf of the Control Board on such technical matters as may be delegated to them by the Board.

5. The summary of important decisions of the Advisory Committee on matters delegated to them by the Board shall be put up for the information of the Board.

6. The Rules of Procedure and Business of the Advisory Committee prescribed earlier will remain unchanged.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Government of West Bengal, the Ministries of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, the Prime Minister's Secretariat the Cabinet Secretariat, the Secretary to the President and the Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the Government of West Bengal be requested to publish the same in the State Gazette for general information.

BALESHWAR NATH, *Jt. Secy.*

## MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY

### (Department of Works and Housing)

RESOLUTION

*New Delhi, the 27th October* 1967

*No.* 25013(6)-*LW*/67.—In partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated the 31st August, 1967 the President has been pleased to decide that the Chief Engineer, Himachal Pradesh, may exercise the following powers in respect of works without the prior approval of the Himachal Pradesh Works Advisory Board :—

(a) Acceptance of lowest tender or single tender or award of work by negotiation with the lowest tenderer or to award work by acceptance of a tender other than the lowest.—Up to Rs. 25 lakhs.

(b) Award of work without call of tenders and (ii) by negotiation, *ab initio* after an infructuous call of tenders or with a firm which has not quoted.—Up to Rs. 50,000.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

PRAKASH CHANDRA SURI, *Dy. Secy*

## MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

### (Department of Labour and Employment)

*New Delhi, the 27th October* 1967

*No. WE.*4/1/36/66.—In pursuance of rule 3(f) & (g) (iii) of the rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby appoints Sarvashri N. K. Joshi, Labour Adviser, and Deputy Secretary to the Government of Rajasthan, Department of Labour & Employment, Jaipur and S. K. Misra, Labour Commissioner, Government of Haryana, Chandigarh as the representatives on the Central Board for Workers' Education for a period of six months from the date of issue of this Notification.

2. The following changes will be made accordingly in the Ministry of Labour & Employment Notification No. E.& P.-4(24)/58 dated the 12th December, 1958/Agrahayana 29, 1880 as amended from time to time :—

For the entries :—

"5. Shri I. C. Puri, Secretary to Government of Punjab, Labour, Cooperative Printing an Sports Departments, Chandigarh.

"6. Shri T. S. Sankaran, Joint Secretary to Government of Madras, Industries, Labour & Housing Department, Madras,

the following entries shall be *substituted* :—

"5. Shri N K. Joshi, Labour Adviser & Deputy Secretary to Government of Rajasthan, Labour & Employment Department, Jaipur.

"6. Shri S. K. Misra, Labour Commissioner, Government of Haryana, Chandigarh.

HANS RAJ CHHABRA, *Under Secy.*

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967